मध्यप्रदेश विधान सभा
(षोडश विधान सभा)

शासकीय आश्वासनों संबंधी समिति

का

प्रथम प्रतिवेदन

(जुलाई –अगस्त 2009 सत्र, भाग-2)

(यह प्रतिवेदन खेल और युवा कल्याण, कुटीर एवं ग्रामोद्योग, अनुसूचित जाति कल्याण, योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी, मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास, पशुपालन, पर्यटन, नर्मदा घाटी विकास, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार जैव विविधता एवं जैव प्रौद्योगिकी एवं जेल विभागों के आश्वासनों से संबंधित)

(यह प्रतिवेदन दिनांक 18 दिसम्बर, 2024 को सदन में प्रस्तुत.)

विषय सूची

क्रमांक (1)	विषय (2)	पृष्ठ संख्या (3)
1.	**समिति का गठन**	एक
2.	**प्रस्तावना**	दो
3.	**प्रतिवेदन में सम्मिलित विभागवार आश्वासनों की सूची**	तीन
4.	**विभागों के नाम:-**	
	(1) खेल एवं युवा कल्याण	1
	(2) कुटीर एवं ग्रामोद्योग	6
	(3) अनुसूचित जाति कल्याण	10
	(4) योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी	19
	(5) मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास	26
	(6) पशुपालन	28
	(7) पर्यटन	31
	(8) नर्मदा घाटी विकास	33
	(9) धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व	43
	(10) तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार	50
	(11) जैव विविधता जैव प्रोद्योगिकी	57
	(12) जेल	58

(एक)

शासकीय आश्वासनों संबंधी समिति का गठन
(वर्ष 2024-25)

सभापति

1. श्री हरिशंकर खटीक

सदस्यगण

2. श्री सुदेश राय
3. श्रीमती गायत्रीराजे पंवार
4. श्री मनोज निर्भयसिंह पटेल
5. श्री रमेश प्रसाद खटीक
6. श्री प्रदीप पटेल
7. श्रीमती मनीषा सिंह
8. श्री गौरव सिंह पारधी
9. श्री फूलसिंह बरैया
10. श्री विक्रान्त भूरिया
11. श्री दिनेश गुर्जर

विधान सभा सचिवालय

1.	श्री ए.पी.सिंह	. .	प्रमुख सचिव
2.	श्री अरविन्द शर्मा	. .	सचिव
3.	श्री वीरेन्द्र कुमार	. .	अपर सचिव
4.	श्री श्याम सुंदर राजपाल	. .	तकनीकी संचालक
5.	श्री नरेन्द्र मिश्रा	. .	अवर सचिव
6.	श्रीमती कुन्दा जाम्भुलकर	. .	अनुभाग अधिकारी.
7.	श्रीमती मधु रायकवार	. .	सहायक ग्रेड-1

प्रस्तावना

- मैं, शासकीय आश्वासनों सम्बन्धी समिति का सभापति, समिति की ओर से प्राधिकृत होकर समिति का **प्रथम प्रतिवेदन (भाग-2) (षोडश विधान सभा)** सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूं।

- यह समिति मध्यप्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 224 (1) के अन्तर्गत 16 अगस्त,2024 को गठित की गई है।

- इस प्रतिवेदन में, जुलाई-अगस्त, 2009 सत्र में माननीय मंत्रीगणों द्वारा दिये गये आश्वासनों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही का परीक्षण कर विभागीय अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव का मौखिक साक्ष्य लिया गया तथा विचारोपरांत आश्वासनों को प्रतिवेदन में सम्मिलित करने का निर्णय लिया गया एवं उस पर समिति की अभ्युक्ति दी गई है।

- समिति की बैठक **दिनांक 17.12.2024** में समिति द्वारा उक्त प्रतिवेदन के प्रारूप पर विचार कर अंगीकृत किया गया।

- समिति के सभी माननीय सदस्यों का मैं व्यक्तिगत रूप से भी आभार व्यक्त करता हूँ , जिनका सहयोग मुझे प्रत्यक्ष रूप से मिला है।

- समिति प्रतिवेदन में सम्मिलित सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों/कर्मचारियों के प्रति आभार व्यक्त करती है, जिन्होंने यथासमय विभागीय कार्यवाही एवं जानकारी प्रेषित कर सहयोग प्रदान किया।

- समिति विधान सभा सचिवालय के अधिकारियों/कर्मचारियों के प्रति भी आभार व्यक्त करती है, जिन्होंने समिति के कार्य में निरंतर सहयोग प्रदान किया।

भोपाल :

दिनांक : 17 दिसम्बर, 2024

हरिशंकर खटीक
सभापति,
शासकीय आश्वासनों संबंधी समिति

प्रतिवेदन में सम्मिलित विभागवार आश्वासनों की सूची

क्र.	विभाग का नाम	आश्वासन क्रमांक
1.	खेल एवं युवक कल्याण	867, 868, 869, 870
2.	कुटीर एवं ग्रामोद्योग	902, 903,1003
3.	अनुसूचित जाति कल्याण	700, 771, 781, 783, 785, 786, 1075
4.	योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी	722, 723, 724, 725,1143
5.	मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास	887, 888
6.	पशुपालन	908, 909, 910, 1252
7.	पर्यटन	898, 899
8.	नर्मदा घाटी विकास	726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 1197
9.	धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व	889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 920, 921
10.	तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार	864, 865, 866,1137,1138,1139,1248
11.	जैव विविधता जैव प्रौद्योगिकी	904,
12.	जेल	827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837

जुलाई-अगस्त 2009 सत्र
खेल एवं युवा कल्याण विभाग

स.क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या, प्रश्न क्रमांक, दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	समिति का अभिमत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	867	अता.प्र.सं.49 (क्र.1371) 09.07.2009	भितरवार विधानसभा क्षेत्र में खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा खेल गतिविधियां संचालित की जाना।	कार्य/गतिविधियां आगामी समय में भी की जाना प्रस्तावित है । जिसमें भितरवार विधानसभा क्षेत्र भी सम्मिलित है।	1.भितरवार विधानसभा क्षेत्र के ग्राम बढेरा में रूपये 171 लाख की लागत से निर्मित होने वाले कुश्ती अखाड़े की प्रशासकीय स्वीकृति लोक निर्माण विभाग को प्रदाय की जा चुकी है। 2. वर्ष 2009-10 में भितरवार विधानसभा क्षेत्र के ग्राम करहिया में ग्राम युवा केन्द्र की स्थापना की जाकर ग्रामीण युवा समन्वयक की पदस्थापना की गई है जहां से सभी युवा कल्याण की योजनायें क्रियान्वित होगी। 3. भितरवार विधानसभा क्षेत्र के ग्राम चिनोर से संविदा ग्रा.खे.प्र.नियुक्त है जिनके द्वारा ग्रामीण अंचलों में खेल गतिविधियां संचालित की जाती है। 4. भितरवार विकास खंड एवं विधानसभा क्षेत्र की 11 पंचायतों में क्रीड़ा श्री नियुक्ति की प्रक्रिया जारी है । शीघ्र ही नियुक्ति उपरांत से क्रीडा श्री विभागीय योजनाओं को ग्रामीण अंचल	**कोई टिप्पणी नहीं।**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					एवं भितरवार विधानसभा क्षेत्र में क्रियान्वित करेंगें। **<u>विभागीय पत्र क्रमांक एफ-3-10/ 2009/09</u>** **<u>दि. 25.10.2010</u>**	
2.	**868**	**तारा.प्र.सं.19 (क्र.773) 16.07.2009**	नरसिंहपुर के बंद वॉलीवाल प्रशिक्षण केन्द्र (छात्रावास) को प्रारंभ कर छात्रों को प्रवेश दिया जाना।	1. इसको हम छात्रावास की जगह इस वर्ष से वापस फीडर सेंटर के रूप में प्रारंभ कर देंगे। 2. 01 जुलाई से मैं इसको प्रारंभ कर दूंगा, यह मैं अध्यक्ष महोदय आपको आश्वस्त करता हूं।	नरसिंहपुर के बंद वॉलीवाल प्रशिक्षण केन्द्र को फीडर सेन्टर के रूप में अक्टूबर 2009 से प्रारंभ किया जाकर खिलाड़ियों को प्रवेश दिया जा चुका है। **<u>विभागीय पत्र क्रमांक एफ-3-18/09/ नौ,दिनांक 11/01/2010</u>**	**कोई टिप्पणी नहीं।**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3.	869	**मांग संख्या 43 (क्र.2,3,4,5,6,7,8) 22.07.2009**	इन्दौर एवं ग्वालियर में अलग अलग ट्रेड कोर्सेस प्रारंभ किया जाना । ऐकेडमी प्रारंभ करवाना एवं प्रतिभावान खिलाड़ियों को नौकरी में प्राथमिकता दी जाना । 2. मध्यप्रदेश में तहसील स्तर पर खिलाड़ियों के लिये खेल मैदान विकसित करना एवं खेल परिषद का निर्माण ।	1. ट्रेड कोर्सेस इस साल से इंदौर और ग्वालियर में भी हम इस प्रकार की ऐकेडमी ला रहे है जिससे युवक अलग-अलग ट्रेडस में प्रशिक्षित हो सके और उनको रोजगार मिल सके । 2. अलग तहसील स्तर पर जिसकी आबादी 14000 से ज्यादा है वहां खेल परिषद भी पूरे करेंगे ।	ट्रेड कोर्सेस ऐनीमेशन एवं व्ही.एल.सी. अकादमी इन्दौर में दिनांक 15.01.2009 से एवं ग्वालियर डी. एस.वाय.डब्ल्यू-डी.क्यू.अकादमी में दिनांक 24.02.2009 से एनीमेशन का कोर्सेस प्रारंभ किया गया । 2. जिन तहसीलों के मुख्यालय ग्राम पंचायत मुख्यालय भी है,उनमें पंचायत एवं ग्रा.वि.वि.के आदेश दिनांक 04.09.2009 के प्रावधानों के तहत खेल मैदान विकसित करने हेतु ग्राम पंचायतों को अधिकृत किया जा चुका है । शेष तहसील मुख्यालय पर भूमि उपलब्ध होने तथा बजट के अनुसार प्राथमिकता के अनुसार कार्य पूरा करने के संकल्प के आधार पर खेल मैदान विकसित किये जाएंगे । **<u>विभागीय पत्र क्रमांक एफ-3-5/ 2011/नौ</u>** **<u>दिनांक 10.02.2011</u>** **<u>अद्यतन जानकारी</u>** :- जुलाई 2009 सत्र के आश्वासन के बाद कितनी तहसील मुख्यालय पर एवं तहसीलों के ग्राम मुख्यालय पर खेल मैदान विकसित किये गये है एवं कितने शेष है, के संबंध में लेख है कि जिन तहसील मुख्यालय पर ग्राम पंचायत मुख्यालय	**आश्वासन अनुरूप कार्यवाही किये जाने की अपेक्षा के साथ समिति प्रकरण समाप्त करने की अनुशंसा करती है ।**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					भी है उनमें पंचायत एवं ग्रा.वि.वि. के आदेश दिनांक 04.09.2009 के प्रावधानों के तहत खेल मैदान विकसित करने हेतु ग्राम पंचायतों को अधिकृत किया जा चुका है। जिलों में विगत वर्षो में मनरेगा योजनान्तर्गत खेल मैदान 11,871 स्वीकृति तथा 4,112 निर्मित एवं 5,419 प्रगति पर है। तहसील मुख्यालय एवं तहसील के ग्राम मुख्यालय पर भूमि उपलब्ध होने तथा आवंटित बजट के अनुरूप प्राथमिकता के अनुसार कार्य पूरा करने के संकल्प के आधार पर खेल मैदान विकसित किये जाएंगे। **विभागीय पत्र क्रमांक एफ-3-5/2011/ नौ, दि. 28.12.2013**	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4.	870	**परि ता.प्र.सं.13 (क्र.1700) 23.07.2009**	माननीय मुख्यमंत्रीजी की घोषणा के पालन में शाहनगर तहसील अंतर्गत रैपुरा में मिनी स्टेडियम के निर्माण कार्य हेतु राशि की स्वीकृति।	उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रगति प्रतिवेदन तथा परीक्षण लेखा वितरण होने पर शेष राशि नियमानुसार स्वीकृत की जावेगी।	रैपुरा शाहनगर जिला पन्ना में मिनी स्टेडियम हेतु आदेश क्रमांक 4916 दिनांक 09.11.2010 द्वारा रूपये 10.00 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। **विभागीय पत्र क्रमांक एफ-3-27/ 2009/नौ, दि. 21.08.2012**	**कोई टिप्पणी नहीं।**

जुलाई-अगस्त 2009 सत्र
कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग

स.क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या, प्रश्न क्रमांक, दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	समिति का अभिमत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	902	ता.प्र.सं. 7 (क्र.787) 09.07.2009	**ग्वालियर जिले में बेरोजगारों को दिये गये ऋण के उपयोग की जॉंच एवं कार्यवाही।**	मैं इसकी जॉंच करा लूंगा।	प्रबंध संचालक मध्यप्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराये गये जॉंच प्रतिवेदन अनुसार परिवार मृतक इकाई योजना में 82 हितग्राहियों में 56 इकाइयों की स्थापना हुई है। 4 इकाइयों में बैंक द्वारा ऋण वितरण नहीं किया गया है, शेष 22 इकाईयॉं कार्यरत नहीं पायी गई तथा 50 इकाईयों द्वारा नियमित रूप से बैंक ऋण की वापसी की जा रही है एवं 28 इकाईयों द्वारा बैंक ऋण वापस नहीं किया जा रहा है। **विभागीय जानकारी क्रमांक एफ 5-8/09/बामन-2** **दिनांक 23.01.2010** **अद्यतन जानकारी** बैंक द्वारा 28 इकाइयों को वितरित ऋण में से रूपये 3,91,199/- का ऋण बैंकों को वापस हुआ है एवं 13 इकाईयों पर रूपये 3,70,339/- का ऋण शेष हैं।	**कोई टिप्पणी नहीं।**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					ग्वालियर जिले में बेरोजगारों को दिये गये ऋण के उपयोग की जाँच बोर्ड के वित्तीय सलाहकार से कराई गई। सभी इकाईयों द्वारा बैंकों से प्राप्त ऋण का उपयोग किया है। वर्तमान में केवल एक इकाई द्वारा ऋण की वापसी न करने से संबंधित बैंक द्वारा कार्यवाही की जा रही है । ऋण वितरण एवं वसूली की जवाबदारी बैंकों की है। **विभागीय जानकारी क्रमांक एफ 5-8/09/बामन-2** **दिनांक 15.11.2011** ऋण राशि बैंकों द्वारा प्रदान की गई है । उक्त बैंक स्वयं ऋण देते है तथा उसकी वसूली भी स्वयं करते है। ऋण देने तथा उसे वसूलने हेतु राज्य शासन का कोई हस्तक्षेप नहीं है। 15 इकाइयों से ऋण वसूली हेतु संबंधित बैंकों द्वारा नोटिस जारी किए गए है। **विभागीय जानकारी क्रमांक एफ 5-8/09/बामन-2** **दिनांक 12.04.2012**	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.	903	अता.प्र.सं. 9 (क्र.308) 09.07.2009	**दतिया जिला अंतर्गत स्वरोजगार हेतु ग्रामोद्योग विभाग में विचाराधीन प्रकरण का समय सीमा में निराकरण।**	01 प्रकरण लंबित है। जिसे वित्तीय वर्ष 2009-10 में निराकृत कर लिया जावेगा।	कुटीर उद्योग योजना अंतर्गत श्री देवेन्द्र सिंह बौद्ध का शहद उत्पादन /मधुमक्खी पालन का प्रस्ताव विचाराधीन था। प्रस्ताव में पाई गयी त्रुटियों के निराकरण एवं अतिरिक्त जानकारी हेतु आवेदक को पत्र दिनांक 31.07.2009 को सूचित किया गया है किन्तु आवेदक द्वारा वांछित जानकारी प्रस्तुत नहीं किये जाने और रूचि नहीं लेने से दिनांक 30.09.09 को प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया। **विभागीय जानकारी क्रमांक एफ 5-9/ 2009/बामन-2** **दिनांक 27.01.2010**	**कोई टिप्पणी नहीं।**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3.	1003	**परिता.प्र.सं.86 (क्र.5099) 30.07.2009**	**श्योपुर जिले में ग्रामोद्योग विभाग द्वारा हितग्राहियों को लाभान्वित करने की योजनाएं संचालित की जाना।**	श्योपुर जिले में वर्ष 2009-10 में एकीकृत क्लस्टर विकास योजना औजार उपकरण योजना तथा वेलफेयर योजना संचालित की जाना है।	वर्ष 2009-2010 में औजार उपकरण योजना में 40 को, वेलफेयर योजना में 150 हितग्राहियों को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य था । वेलफेयर योजना (स्वास्थ्य बीमा योजना) में 2009-2010 में विकास आयुक्त (हस्तशिल्प व निगम) के संयुक्त प्रयास से 95 शिल्पियों का बीमा करवाया जा चुका है । औजार उपकरण योजना में अनुसूचित जनजाति वर्ग के शिल्पियों के लिये 50 प्रतिशत अनुदान है व शिल्पी अंश 50 प्रतिशत है । शिल्पियों द्वारा उनका अंश दिए जाने के लिए सहमत न हो पाने के कारण औजार अनुदान के प्रकरण स्वीकृत नहीं किए जा सकें। एकीकृत क्लस्टर विकास योजना में वर्ष 2010 -2011 में रूपये 1.00 लाख का प्रावधान है। **विभागीय जानकारी क्रमांक एफ 5-21/2009/बामन-2** **दिनांक 30.06.2010**	**कोई टिप्पणी नहीं।**

जुलाई-अगस्त 2009 सत्र
अनुसूचित जाति कल्याण विभाग

स.क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या, प्रश्न क्रमांक, दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	समिति का अभिमत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	770	परि.ता.प्र.सं. 82 (क्र.2869) दि.17.07.2009	वर्ष 1990 में नियुक्त किये गये मंडल संयोजकों की पदोन्नति।	मंडल संयोजकों के पदोन्नति संबंधी कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	वर्ष 1990 में नियुक्त मण्डल संयोजकों को आदेश क्रमांक एफ 4-591/04/1/25 दि. 10.02.2005 द्वारा क्षेत्र संयोजक/विकास खंड अधिकारी के पदों पर पदोन्नति दी जा चुकी है। 2. शेष 34 मंडल संयोजकों की पदोन्नति के लिये क्षेत्र संयोजक/ विकास खंड अधिकारी के पद उपलब्ध नहीं होने से उनकी पदोन्नति की जाना संभव नहीं है। विभागीय पत्र क्रमांक एफ 23-15/ 2009/1-25 दिनांक 24.02.2011	कोई टिप्पणी नहीं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2	771	ता.प्र.सं. 17 (क्र.3213) दि.17.07.2009	**भिण्ड जिले में वर्ष 2007-08 एवं 2008-09 में कराये गये निर्माण कार्य में जिला संयोजक भिण्ड द्वारा प्रभारी कार्यपालन यंत्री एवं उप यंत्री द्वारा अत्यन्त निम्नस्तर के कार्य कराये जाने की जॉंच एवं कार्यवाही तथा भिण्ड जिले के ग्राम झिरी के मजरे में जहॉं अनुसूचित जाति की आबादी है । वहॉं पैसा खर्च करने की जॉंच एवं कार्यवाही एवं उपयंत्री श्री दुबे के भाई को कार्य के ठेके दिये जाने में अनियमितता की जॉंच एवं कार्यवाही ।**	<u>अध्यक्ष महोदय निर्देश :-</u> मंत्रीजी देख लीजिये उसको परीक्षण करा दीजिये जॉंच करा दी जायेगी ।	कलेक्टर, भिण्ड से उनके प्रतिवेदन दि. 29.06.2011 से प्रतिवेदित किया गया है कि भिण्ड जिले में लोक निर्माण विभाग संभाग गोहद के अंतर्गत वर्ष 2007 -08 एवं 2008-09 में निर्माण कार्य (डिपोजिट मद) कार्यालय कलेक्टर आदिम जाति कल्याण, भिण्ड द्वारा लोक निर्माण विभाग संभाग गोहद को निर्माण ऐजेन्सी नियुक्त किया गया था । जिससे प्रदाय निर्माण कार्य की विभागीय प्रक्रिया के तहत निविदा आमंत्रित कर कार्यादेश उपरांत कार्य प्रारंभ कर पूर्ण करा दिया गया । निर्माण कार्य की प्रगति के चलते ही उसकी गुणवत्ता जॉंच लोक निर्माण विभाग अनुसंधान एवं परीक्षण केन्द्र ठाटीपुर ग्वालियर द्वारा समस्त जॉंच जैसे कांक्रीट, ब्लॉक, ईट,रेत आदि की जॉंच कराई गई जिसकी गुणवत्ता सही होने के पश्चात ही ठेकेदार को भुगतान कराया गया है । अत: निर्माण कार्य निम्न स्तर का होने का प्रश्न नहीं उठता । वर्ष 2007-08 एवं 2008-09 में निर्मित निर्माण कार्य निम्न स्तर	**कोई टिप्पणी नहीं ।**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					का नहीं पाया गया । ग्राम पंचायत छिदी लहार की अनुसूचित जाति बस्ती में ग्राम पंचायत छिदी के प्रस्ताव अनुसार अनुसूचित जाति क्षेत्र में कार्य कराया गया है । ग्राम पंचायत द्वारा अनुसूचित जाति के प्रस्ताव अनुसार शासन द्वारा स्वीकृत के उपरांत कार्यालय कलेक्टर आदिम जाति कल्याण भिण्ड के पत्र क्रमांक 4655 दिनांक 29.12.2007 द्वारा पंचायत सी.सी. मार्ग निर्माण हेतु एजेन्सी नियुक्त करने के उपरांत ठेका पद्धति द्वारा ठेकेदार श्री ओमप्रकाश शर्मा(लहार) वर्तमान तुलसी विहार ग्वालियर जो श्री दुबे उपयंत्री के भाई एवं रिश्तेदार नहीं है, के द्वारा अनुबंध क्रमांक 142/07-08 एवं 143/07-08 की शर्तो के आधार पर गुणवत्तापरक एवं अनुसूचित बस्ती में कार्य कराया गया है जो स्थलीय निरीक्षण में सही पाया गया । कोई भी निर्माण कार्य निम्न स्तर का नहीं है एवं ना ही श्री दुबे उपयंत्री का कोई भाई एवं रिश्तेदार ठेकेदार है । **विभागीय पत्र क्रमांक एफ 21-36/ 2009/25/4** **दिनांक 20.07.2011**	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3	781	**परि.ता.प्र.सं. 53 (क्र.3040) दि.24.07.2009**	**रीवा जिले के जिला संयोजक एवं उपयंत्री के विरूद्ध कार्यवाही श्री अरूण कुमार शुक्ला जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण विभाग रीवा एवं आर.एस.तिवारी उपयंत्री द्वारा रीवा तथा मेदुरहा छात्रावास में विद्युत फिटिंग में की गई वित्तीय अनियमितता की जॉंच एवं कार्यवाही।**	विभागीय जॉंच की कार्यवाही आयुक्त रीवा संभाग द्वारा प्रचलन में है।	श्री अरूण शुक्ला, जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा की गयी अनियमितता की जॉंच आयुक्त रीवा संभाग रीवा द्वारा करते हुए उन पर अधिरोपित आरोपों पर प्रतिवाद उपरांत श्री शुक्ला को दीर्घ शास्ति से दंडित करने के प्रस्ताव पर शासन स्तर से आदेश क्रमांक एफ 16-21/09/1/25 दिनांक 19.02.10 द्वारा श्री अरूण शुक्ला के विरूद्ध विभागीय जॉंच संस्थित की गयी तथा विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 06.03.2010 द्वारा निलंबित भी किया जा चुका है एवं आर.एस.तिवारी उपयंत्री के विरूद्ध लोक निर्माण विभाग के आदेश क्रमांक एफ 17-64/09/स्था/19 दि. 18.01.2010 द्वारा नियमित विभागीय जॉंच संस्थित कर दी गई है। **<u>विभागीय पत्र क्रमांक 23-24/ 2009/1/25</u>** **<u>दिनांक 22.03.2010</u>** आरोपी तत्कालीन जिला संयोजक श्री अरूण शुक्ला को शासन के आदेश क्रमांक एफ-16-21/2009/1/25 दि. 06.03.10	**जॉंच निष्कर्ष के आधार पर विभाग द्वारा दोषियों पर कार्यवाही किये जाने के साथ समिति प्रकरण समाप्त करने की अनुशंसा करती है।**

					द्वारा निलंबित किया गया तथा नियमित विभागीय जॉंच की कार्यवाही सम्पन्न की गई । श्री शुक्ला के विभागीय जॉंच प्रकरण में शासन के आदेश क्रमांक एफ 16 -21/2009/1/25 दि. 13.10.11 द्वारा दो वेतनवृद्धियां असंचयी प्रभाव से रोकने की लघुशास्ति अधिरोपित कर प्रकरण समाप्त किया गया। श्री आर. एस. तिवारी उपयंत्री लोक निर्माण विभाग के कर्मचारी है । इनके विरूद्ध लोक निर्माण विभाग द्वारा विभागीय जॉंच की कार्यवाही की जा रही है। आदिम जाति कल्याण विभाग से कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। **विभागीय पत्र क्रमांक 23-24/ 2009/1/25** **दिनांक 06.05.2015**	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4.	783	परि.ता.प्र.सं. 119 (क्र.4190) दि.24.07.2009	**सागर जिले की बंडा तहसील की ग्राम पंचायत राख्सी की अनुसूचित जाति बस्ती में विशेष घटक योजना अंतर्गत वर्ष 2008-09 में चयनित स्थल पर ठेकेदार द्वारा विद्युतीकरण न किया जाना एवं विद्युतीकरण के कार्य में की गई अनियमितता की जॉच एवं कार्यवाही।**	जॉच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर गुण दोष के आधार पर कार्यवाही की जा सकेगी।	कलेक्टर सागर से जॉच प्रतिवेदन प्राप्त किया गया जॉच प्रतिवेदन अनुसार वर्ष 2008-09 में अनुसूचित जाति विकास मद से ग्राम पंचायत राक्सी के ग्राम रानीपुरा में प्रभारी मंत्रीजी के अनुमोदन से विद्युतीकरण का कार्य स्वीकृत किया गया था किन्तु अनुसूचित जाति के परिवार निवासरत नहीं होने से कार्य पर हुए व्यय राशि 4,83,494/- का भुगतान नहीं किया गया है। 40 आदिवासी परिवारों की बसाहट होने से राशि आयुक्त आदिवासी विकास से मांगी गई है। प्रकरण में भुगतान नहीं होने से कोई अनियमितता नहीं होना प्रतिवेदित किया गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक 21-127/ 2010/4/पच्चीस, दिनांक 29 अक्टूबर,2010**	**कोई टिप्पणी नहीं।**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5.	**785**	**अता.प्र.सं. 122 (क्र.4168) 24.07.2009**	**भिण्ड जिले के विकासखण्ड लहार एवं रौन के ग्राम लाटौल तथा नदना का विद्युतीकरण।**	समस्या का शीघ्र समाधान कराकर कार्य प्रारंभ कराये जा रहे है।	वर्ष 2009-10 में जिले को अनुसूचित जाति बस्ती के मजरे टोलों के विद्युतीकरण कार्य हेतु राशि रूपये 10.00 लाख का आवंटन प्राप्त हुआ है। कार्यपालन यंत्री विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड लहार द्वारा ग्राम लाटौल के अनुसूचित जाति बस्ती की तकनीकी स्वीकृति राशि रूपये 10.72 लाख की भेजी गई है। उक्त ग्राम के कार्य को कराये जाने हेतु कार्य योजना में शामिल है। ग्राम नदना के अनुसूचित जाति बस्ती का कार्य राशि रूपये 3,38,588/- का कार्य स्वीकृत होकर पूर्ण हो चुका है। **विभागीय पत्र क्रमांक एफ-21/ 2010/4/पच्चीस, भोपाल दिनांक 20 अक्टूबर,2010**	**कोई टिप्पणी नहीं।**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
6.	**786**	**अशासकीय संकल्प 51 दि.24.07.2009**	**प्रजापति समाज को संपूर्ण मध्यप्रदेश में अनुसूचित जाति का दर्जा दिया जाना।**	हम दोनों प्रयास करेंगे इस जाति को लाभ देने में सफलता प्राप्त करेंगे।	संविधान में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम -1976 से स.क्र.35 पर कुम्हार जाति प्रदेश के छतरपुर, दतिया, पन्ना, रीवा, सतना,शहडोल,सीधी,एवं टीकमगढ़ जिलो में अनुसूचित जाति अधिसूचित है। मध्यप्रदेश विधानसभा द्वारा विधानसभा सत्र जुलाई-अगस्त 2009 में अशासकीय संकल्प क्रमांक 51, 53 एवं 54 में पारित संकल्प की मंशा अनुसार प्रजापति समाज को संपूर्ण मध्यप्रदेश में अनुसूचित जाति का दर्जा दिया जाये, संबंधी प्रस्ताव विभाग के पत्र क्रमांक 21-38/ 2009/4/25 दिनांक 18.08.2009 द्वारा भारत सरकार को भेजा गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक एफ-21-38/** **2009/4-25** **भोपाल दिनांक 20 अक्टूबर,2010**	**कोई टिप्पणी नहीं।**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7.	1075	अता.प्र.सं. 164 (क्र.5323) 31.07.2009	**जिला दमोह में वर्ष 2006 से प्रश्न दिनांक तक अनुसूचित जाति, जनजाति के नवीन छात्रावासों आश्रमों विद्यालयों का निर्माण आवासीय विद्यालय उत्कृष्ठ छात्रावास के अपूर्ण निर्माण कार्य को पूर्ण किया जाना।**	अपूर्ण कार्य निर्माणाधीन है जो यथाशीघ्र पूर्ण कराने का प्रयास है।	मध्यप्रदेश शासन अनुसूचित जाति कल्याण विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञापन क्रमांक एफ-553 / 927/ 2013 / 25-5 दिनांक 1.10.13 के द्वारा अनुसूचित जाति प्री-मैट्रिक कन्या/बालक छात्रावास भवन दमोह हेतु राशि रूपये 57.94 लाख के स्थान पर रूपये 86.38 लाख की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति जारी कर आवंटन उपलब्ध करा दिया गया है। भवन 30 जून 2014 तक पूर्ण करा लिया जायेगा। **विभागीय पत्र क्रमांक 584/442/ 2014/25-5** **भोपाल दिनांक 10.07.2014**	**कोई टिप्पणी नहीं।**

जुलाई-अगस्त 2009 सत्र
योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग

<table>
<tr><th>स.क्र.</th><th>आश्वासन क्रमांक</th><th>प्रश्न संख्या, प्रश्न क्रमांक, दिनांक</th><th>आश्वासन का संक्षिप्त विषय</th><th>आश्वासन का रूप</th><th>शासन द्वारा की गई कार्यवाही</th><th>समिति का अभिमत</th></tr>
<tr><td>(1)</td><td>(2)</td><td>(3)</td><td>(4)</td><td>(5)</td><td>(6)</td><td>(7)</td></tr>
<tr><td>1</td><td>722</td><td>अता.प्र.सं. 21 (क्र.293) 06.07.2009</td><td>वर्ष 2004-05 से वित्तीय वर्ष 2008-09 पथरिया विधान सभा क्षेत्र में अनुशंसित विकास कार्यो को स्वीकृत कर पूर्ण किया जाना।</td><td>327 कार्य प्रगति पर है शेष कार्य 88 प्रगति पर है।</td><td>विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र पथरिया में वर्ष 2004-05 से 2008-09 तक जिला दमोह में 327 कार्य प्रश्नाधीन अवधि तक प्रगति पर थे। जिन्हें पूर्ण कर लिया गया है।
सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत वर्ष 2004-05 से 2008-2009 तक दमोह पन्ना संसदीय क्षेत्र में प्रश्नाधीन अवधि में बताये गये 88 कार्य अपूर्ण थे जिन्हें पूर्ण कर लिया गया है। वर्तमान स्थिति निम्नानुसार है :-
<table>
<tr><th></th><th>प्रश्नाधीन अवधि में बताये गये शेष अपूर्ण कार्य</th><th>पूर्ण कार्य</th><th>निरस्त कार्य</th></tr>
<tr><td>छतरपुर</td><td>28</td><td>25</td><td>3</td></tr>
<tr><td>पन्ना</td><td>35</td><td>34</td><td>1</td></tr>
<tr><td>दमोह</td><td>25</td><td>25</td><td>0</td></tr>
<tr><td>योग</td><td>88</td><td>84</td><td>4</td></tr>
</table></td><td>कोई टिप्पणी नहीं।</td></tr>
</table>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					विभागीय पत्र क्रमांक 9-22/2008 /23/यो.आ.सा. दिनांक 8.2.2013	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2	723	ता.प्र.सं. 21 (क्र.2196) 13.07.2009	कटनी जिले के अंतर्गत कैमोर सांइन्स कॉलेज के विधि विरूद्ध अध्यक्ष होने की नागरिकों द्वारा की गई शिकायत की जॉंच एवं कार्यवाही।	जॉंच प्रतिवेदन के आधार पर कार्यवाही की जायेगी।	प्रयोगशाला कक्ष निर्माण की जॉंच में जनभागीदारी योजना अंतर्गत स्वीकृत राशि के नियमों के तहत कार्य पूर्ण न पाये जाने पर कार्य निरस्त किया गया है। श्री शैलेन्द्र शुक्ला, अध्यक्ष कैमोर साइंस कॉलेज कैमोर को तकनीकी प्राक्कलन एवं जनभागीदारी योजना अंतर्गत प्राप्त राशि एवं शासन के अंशदान की राशि के तहत कार्यवाही न कराये जाने के कारण रूपये 1.775 लाख शासन हेड में जमा कराने के निर्देश दिये गये। श्री रामलाल तिवारी (सेवानिवृत्त) जिला योजना अधिकारी कटनी को नियम विरूद्ध राशि जारी करने के कारण रूपये 1.775 लाख शासन हेड में जमा करने के निर्देश दिये गये। **<u>विभागीय पत्र क्रमांक 9-17/2009 /23/यो.आ.सा. दिनांक 23.03.2010</u>** कैमोर साइंस कॉलेज में स्वीकृत नवीन प्रयोगशाला कक्ष निर्माण कार्य जनभागीदारी	**विभाग द्वारा नियम विरूद्ध जारी की गई राशि को विभाग शासन के मद में जमा करायेंगा। इस अनुशंसा के साथ समिति प्रकरण समाप्त करती है।**

					योजनान्तर्गत स्वीकृत राशि नियमों के अनुकूल न पाये जाने के कारण कार्य निरस्त किया गया । श्री शैलेन्द्र शुक्ला, अध्यक्ष कैमोर साइंस कॉलेज को तकनीकी प्राक्कलन एवं जनभागीदारी योजनान्तर्गत स्वीकृत शासन अंशदान राशि रूपये 3.55 लाख शासन के हैड में पृथक पृथक दो किश्तों में क्रमश: चालान क्रमांक 54 दिनांक 06.08.2011 राशि रूपये 1.55 लाख एवं चालान क्रमांक क्यू/7/775/दिनांक 23.01.2012 द्वारा राशि रूपये 2.00 लाख जमा करा दी गई है । **विभागीय पत्र क्रमांक 9-17/2009 /23/यो.आ.सा.** **दिनांक 02.06.2014**	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3	724	ता.प्र.सं. 15 (क्र.1686) 20.07.2009	प्रदेश में वर्ष 2008-09 की रूकी हुई विधायक निधि की राशि को कैरिड ओवर किया जाना। 2. 31 मार्च 2009 की विधायक निधि के उपयोग पर प्रतिबंध की जॉच एवं कार्यवाही। 3. विधायक निधि से निर्माण कार्य समय-सीमा में कराये जाने के लिये निर्देश प्रसारित किये जाना। 4. विधायक की अनुशंसा का पत्र मिलने के बाद स्वेच्छानुदान मद की राशि हितग्राही को 15 दिन में दिलाने के निर्देश प्रदेश के जिलाध्यक्षों को दिये जाना।	1.हम प्रकरण का परीक्षण करवा लेंगे और उसमें जो भी रास्ता निकल सकेगा वह करवा लेंगे। 2. मैं उसको दिखवा लूंगा। आयुक्त महोदय को निर्देश चले जाएगें कि वह एक महीने के अंदर प्रकरण में निराकरण करें । आपके आदेश के अनुसार निर्देश चले जाएगें। 3. आयुक्त महोदय को यह निर्देश चले जायेंगे कि वह एक महीने के अंदर प्रकरण का निराकरण करें। 4. आपके आदेश के अनुसार निर्देश चले जायेंगे।	विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत राशि का उपयोग उसी वित्तीय वर्ष में किये जाने का प्रावधान है । राशि को केरिड ओवर किये जाने का प्रावधान नहीं है । वर्ष 2008-09 की राशि व्यपगत (लेप्स) हो गयी है। विभाग द्वारा आयुक्त सागर संभाग सागर को क्रमांक एफ 11-22/09/23/योआसां दिनांक 25.07.2009 को निर्देश दिये गये थे । निर्देशानुसार प्रकरण का परीक्षण कराया गया । विधायक निधि एवं स्वेच्दानुदान की राशि लेप्स होने के लिये जिम्मेदार मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री गोविन्द सिंह जनपद पंचायत पवई, जिला पन्ना एवं श्री पी.एल.पटेल जनपद पंचायत शाहनगर के विरूद्ध आयुक्त सागर ने अनुशासनात्मक कार्यवाही कर आगामी एक वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के दंड से दंडित कर प्रचलित कार्यवाही समाप्त की गई है। **<u>विभागीय पत्र क्रमांक 9-17/2009 /23/यो.आ.सा.</u>** **<u>दिनांक 26.05.2010</u>**	**कोई टिप्पणी नहीं।**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4	725	अता.प्र.सं. 7 (क्र. 372) 20.07.2009	नगर पंचायत विजयराघवगढ़ में विधायक विकास निधि से पाली निर्माण के लिये जारी राशि को अन्य मद से व्यय करने वाली एजेंसी एवं दोषी अधिकारी के विरूद्ध जॉंच एवं कार्यवाही।	जी हॉं .	नगर पंचायत विजयराघवगढ़ में विधायक विकास निधि से स्थानीय विकास निर्माण कार्य हेतु रूपये 4.00 लाख आवंटन से नाली निर्माण वार्ड क्र.07, 08, 09 एवं 10 में किये जाने के निर्देश दिये गये थे । नाली निर्माण ठेकेदार द्वारा उसे पूर्ण करा लिया गया है। मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पंचायत विजयराघवगढ़ द्वारा किये गये कार्यो के उपयोगिता / कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र भी प्राप्त किये है । कार्य पूर्ण हो गये हैं । दोषी अधिकारी के विरूद्ध जॉंच एवं कार्यवाही का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **विभागीय पत्र क्रमांक 9-25/2009 /23/यो.आ.सा.** **दिनांक 23.08.2010**	**कोई टिप्पणी नहीं।**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5	1143	अता.प्र.सं.11 (क्र. 644) 03.08.2009	सतना जिले की जिला योजना समिति कार्यालय में पदस्थ शेष कर्मचारियों को वरिष्ठता एवं क्रमोन्नति का लाभ दिया जाना ।	शेष कर्मचारियों के संबंध में कार्यवाही प्रचलन में है ।	जिला योजना एवं सांख्यिकी कार्यालय सतना में जिन 04 शेष कर्मचारियों को उक्त लाभ नहीं दिया गया है । उनमें से 2 कर्मचारियों क्रमश: श्री रामस्वरूप पाण्डे एवं श्री एल.पी.खरे को आदेश दिनांक 26.07.2010 द्वारा क्रमोन्नत / समयमान वेतनमान स्वीकृत कर दिया गया है । शेष 2 कर्मचारी श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता एवं श्री पुरूषोत्तम लाल वर्मा की गोपनीय चरित्रावली प्राप्त न होने के कारण क्रमोन्नति / समयमान वेतनमान स्वीकृत नहीं हुआ है । जिला योजना एवं सांख्यिकी कार्यालय समना में श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता एवं श्री पुरूषोत्तम लाल वर्मा को आदेश दिनांक 11.02.11 द्वारा क्रमोन्नत / समयमान वेतनमान स्वीकृत किया गया । **विभागीय पत्र क्रमांक एफ-9-44 /2009/23/यो.आ.सा.** **दिनांक 07.08.2010**	**कोई टिप्पणी नहीं ।**

जुलाई-अगस्त 2009 सत्र
मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास विभाग

स.क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या, प्रश्न क्रमांक, दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	समिति का अभिमत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	887	परि.ता;प्र.सं. 14 (क्र.430) 08.07.2009	माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा मछुआ पंचायत की सभा में की गई घोषणाओं का क्रियान्वयन एवं सिंघाड़ा बोर्ड का गठन तथा मत्स्योद्योग विभाग का नाम बदलने के संबंध में कार्यवाही।	कार्यवाही प्रचलन में है।	सिंघाड़ा की फसल के विकास के संबंध में उद्यानिकी विभाग द्वारा कार्यवाही की जा रही है। विभाग का नाम पूर्व से मछली पालन विभाग होने से कोई परिवर्तन नहीं करने का निर्णय लिया गया है। विभागीय पत्र क्रमांक एफ 18-08/ 2009/छत्तीस दिनांक 19.02.2010	कोई टिप्पणी नहीं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2	888	परि.ता;प्र.सं. 25 (क्र.25) 22.07.2009	जबलपुर में दिनांक 22.08.08 को आयोजित मछुआ पंचायत में माननीय मुख्यमंत्रीजी द्वारा की गई घोषणा अनुसार जबलपुर के ग्वारीघाट, लम्हेटाघाट एवं भेड़ाघाट के मछुआ एवं नाविकों की सहकारी समितियों को सुविधाएं उपलब्ध कराई जाना।	निर्देशों के अनुसार कार्यवाही की जा रही है।	दिनांक 22.08.2008 को जबलपुर में आयोजित मछुआ पंचायत में माननीय मुख्य मंत्रीजी मध्यप्रदेश शासन द्वारा ग्वारीघाट,लम्हेटाघाट एवं भेड़ाघाट के मछुआ एवं नाविकों की सहकारी समितियों को सुविधाएं उपलब्ध कराई जाने की कोई घोषणा नहीं की गई है । उद्भूत हुए आश्वासन सत्र जुलाई-अगस्त,2009 में प्रश्न क्रमांक 2755 के उत्तर में भी विभाग से संबंधित नहीं है , का उल्लेख किया गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक एफ 18-16/2009/छत्तीस** **दिनांक 30.12.2009**	**कोई टिप्पणी नहीं।**

जुलाई-अगस्त 2009 सत्र
पशुपालन विभाग

स.क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या, प्रश्न क्रमांक, दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	समिति का अभिमत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	908	ता.प्र.सं.23 (क्र.3598) 22.07.2009	भोपाल दुग्ध संघ द्वारा वर्ष 2005-06 से जून 2009 तक उत्पादकों के बढ़ाये दामों का तथा मासिक पासधारियों को रियायत में बढ़ोत्री एवं दुग्ध पार्लर संचालकों का कमीशन बढ़ाये जाने का परीक्षण कर इनका युक्तियुक्तकरण किया जाना।	जी.हॉ.	परीक्षण करने पर पाया गया कि बूथ/पार्लर का निर्माण रख रखाव एवं दूध व दुग्ध पदार्थ विक्रय संवर्धन तथा दुग्ध परिवहन कार्य दुग्ध संघ द्वारा किये जाने से बूथ /पार्लर संचालकों को कोई व्यय वहन नहीं करना होता है । इन सेवाओं के अतिरिक्त विक्रय मात्रा में वृद्धि होने से संचालकों की आय में स्वत: वृद्धि हो रही है। मासिक पास धारियों को भी विशेष अवसर पर विशेष रियायत दी जाती है । अत: समिति द्वारा मासिक पास धारियों को रियायत एवं पार्लर संचालकों के कमीशन को युक्तियुक्त पाया गया । इसके उपरांत भी साँची घी विक्रय हेतु लागू की गई मूल संरचना में दिनांक 11.5.2010 से फुटकर विक्रेताओं के मार्जिन में लगभग रूपये 4.12 प्रति लीटर की वृद्धि की गई। **विभागीय पत्र क्रमांक 18-40/2009/पैतीस दि. 06 जुलाई, 2020**	**कोई टिप्पणी नहीं।**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.	909	परिता.प्र.सं.23 (क्र.2695) 22.07.2009	रीवा जिले में सहकारी दुग्ध समितियों के पंजीयन हेतु दिये गये आवेदन पर कार्यवाही।	शेष प्रक्रियाधीन है।	रीवा जिले में गठित 21 दुग्ध सहकारी समितियों में से पंजीयन हेतु शेष रही 16 समितियों में से 14 समितियों का पंजीयन किया जा चुका है । 02 समितियों के प्रवर्तकों द्वारा संबंधित समितियों का पंजीयन कराने हेतु अनिच्छा व्यक्त करते हुए पंजीयन कराने से मना किया गया है। अत: इन दो प्रस्तावित समितियों का पंजीयन कराया जाना अपेक्षित नहीं है। **विभागीय पत्र क्रमांक 18-31/2009/पैतीस दिनांक 26.06.2010**	**कोई टिप्पणी नहीं।**
3.	910	अता.प्र.सं.58 (क्र.3398) 22.07.2009	उप संचालक पशु चिकित्सा विभाग श्योपुर द्वारा गौ-सेवकों को किट प्रदाय के लिये जमा कराई राशि वापस दिलाई जाना।	उप संचालक पशु चिकित्सा सेवायें कार्यालय में जमा राशि एक माह के भीतर संबंधित गौ-सेवकों को वापिस कर दी जावेगी।	25 गौ सेवकों को जमा की गई राशि वापस कर दी गई है । शेष एक गौ सेवकों को इनकी मांग के आधार पर गौ सेवक किट प्रदाय करा दी गई है। **विभागीय पत्र क्रमांक एफ 18-37/ 2009/पैतीस दिनांक 04 जनवरी 2010**	**कोई टिप्पणी नहीं।**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4.	1252	ता.प्र.सं.73 (क्र.4716) 29.07.2009 प्रश्नों के पूर्ण उत्तर खंड-4	ग्वालियर जिले के डबरा स्थित दुग्ध शीत केन्द्र प्रभारी द्वारा केन्द्र पर उपलब्ध सामग्री को अनुपयोगी दिखाकर 5 लाख रूपये की हेराफेरी करने की जॉंच एवं कार्यवाही।	जी.हॉं.	ग्वालियर जिले के डबरा स्थित दुग्ध शीतकेन्द्र प्रभारी (श्री व्ही.डी.शर्मा ग्रामीण विस्तार संगठक) द्वारा कर 05 लाख रूपये की हेरा फेरी करने बाबत कोई प्रकरण उजागर नहीं हुआ है। श्री व्ही.डी.शर्मा द्वारा डबरा शीतकेन्द्र पर प्रभारी रूप में पदस्थी के दौरान की गई अनियमितताओं के कारण संघ के पत्र क्रमांक 2802 दिनांक 08.06.09 द्वारा श्री शर्मा के विरूद्ध आरोप पत्र जारी किया जाकर आदेश क्रमांक 5595-96 दिनांक 10.11.09 द्वारा विभागीय जॉंच संस्थित की गई थी । विभागीय जॉंच में श्री शर्मा के विरूद्ध लगाये गये आरोप प्रमाणित पाये जाने के फलस्वरूप ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ के आदेश क्रमांक 3043-44 दिनांक 2.6.2010 द्वारा उन्हें सेवा से हटाये जाने की शास्ती अधिरोपित की जाकर सेवा से पृथक किया जा चुका है। **<u>विभागीय पत्र क्रमांक 18-6/2009/पैतीस दिनांक 25.10.2010</u>**	**कोई टिप्पणी नहीं।**

<u>जुलाई-अगस्त 2009</u>
<u>पर्यटन विभाग</u>

स.क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या, प्रश्न क्रमांक, दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	समिति का अभिमत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	898	ता.प्र.सं.16 (क्र.3014) 16.07.2009	चाचौड़ा में स्थित किले एवं वहां के धार्मिक स्थलों को पर्यटन स्थल घोषित किया जाना एवं माननीय सदस्य के सुझावों को महत्व दिया जाना।	<u>माननीय अध्यक्ष के निर्देश :-</u> इसमें माननीय सदस्य को भी रखिये और उनके सुझावों को भी महत्व दीजिये। 1. इसका फिर से परीक्षण करवा लूंगा। 2. जी. हॉं .	माननीय सदस्य से सुझाव प्राप्त कर प्रस्ताव का परीक्षण कराया गया है । पर्यटन विभाग द्वारा जारी नवीन पर्यटन नीति 2016 के अंतर्गत किसी भी स्थल को पर्यटन स्थल घोषित करने की कोई नीति नहीं है। <u>विभागीय पत्र क्रमांक 1580/ 1576/ 2018 दिनांक 27.11.2018</u>	कोई टिप्पणी नहीं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.	**899**	**मांग संख्या 37 (क्र.1,2,3,4,5,6) दि. 22.07.2009**	जबलपुर,ग्वालियर,उज्जैन एवं अन्य शहरों में पर्यटकों के लिये रेडियों टैक्सी की व्यवस्था। 2. मध्यप्रदेश में पर्यटकों को कैरेबिन सिस्टम किराये पर उपलब्ध कराना।	रेडियों टैक्सी जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन और अन्य स्थानों पर भी इसको प्रारंभ करेंगे। 2. मध्यप्रदेश में केरेबिन सिस्टम हम किराये पर पर्यटकों को उपलब्ध करायेंगे।	भोपाल में निजी संस्था के सहयोग से रेडियों टैक्सी का चालन किया जा रहा है । जबलपुर,ग्वालियर,उज्जैन आदि शहरों में रेडियो टैक्सी चालन हेतु निजी संस्थाओं से संपर्क कर संभावनायें तलाशी जा रही है। 2.भारत सरकार पर्यटन मंत्रालय नई दिल्ली को केरेवान टूरिज्म के संचालन हेतु प्रतिवेदन तैयार कर प्रेषित किया जा चुका है। भारत शासन से स्वीकृति अपेक्षित है। स्वीकृति प्राप्त होने पर केरेवान टूरिज्म सेवायें प्रारंभ की जायेगी। **विभागीय पत्र क्रमांक एफ 13-48/ 2009/तैतीस, दिनांक 17.12.09**	**कोई टिप्पणी नहीं।**

जुलाई-अगस्त 2009 सत्र
नर्मदा घाटी विकास विभाग

स.क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या, प्रश्न क्रमांक, दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	समिति का अभिमत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	726	परि.ता.प्र.सं.2 (क्र.59) दिनांक 7.7.09	सरदार सरोवर परियोजना के अंतर्गत अपात्र व्यक्तियों को पुनर्वास पैकेज का लाभ पहुंचाने वाले अधिकारियों के विरूद्ध जॉच एवं कार्यवाही।	जॉच उपरांत जिम्मेदारी नियत कर कार्यवाही की जावेगी।	आयुक्त (पुर्नवास/फील्ड) द्वारा जॉच उपरांत अपने प्रतिवेदन दिनांक 7.12.2010 में यह प्रतिवेदित किया गया है कि इस कृत्य के लिये संजय चतुर्वेदी तत्कालीन पुर्नवास अधिकारी स.स.परि. बडवानी आंशिक रूप से जिम्मेदार है। उपरोक्त प्रकरण में 06 व्यक्तियों को प्रथम दृष्टया अपात्र होने पर भी विशेष पुर्नवास अनुदान राशि का भुगतान किया गया है। प्रकरण में बालिग पुत्रों की उम्र का विवाद है तथा उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर संदेह से परे प्रमाणित नहीं हो रहा है। विभागीय पत्र क्रमांक 3520/2955 /2009/27-1 दिनांक 8.9.2011	**कोई टिप्पणी नहीं।**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.	**727**	परि.ता.प्र.सं.5 (क्र.135) दिनांक 7.7.09	नर्मदा घाटी विकास विभाग में हुये भ्रष्टाचार की शिकायतों की जॉच एवं कार्यवाही।	शेष 72 प्रकरणों की जॉच प्रकियाधीन है।	72 प्रकरणों में से अब केवल 37 प्रकरण की कार्यवाही हेतु शेष है। जिन पर कार्यवाही कर शीघ्र निराकरण किया जा रहा है। **<u>विभागीय पत्र क्रमांक 3069 आर.-3256/2011/27-1</u>** **<u>दिनांक 30.07.2011</u>** **<u>अद्यतन जानकारी :-</u>** विधानसभा सचिवालय ने अपने पत्र दिनांक 09.10.2013 द्वारा शेष 09 प्रकरणों में निराकरण हेतु की गई कार्यवाही की अद्यतन जानकारी चाही है। शेष 09 प्रकरणों में 03 शिकायती प्रकरणों में शिकायतें प्रमाणित नहीं होने से 03 प्रकरण समाप्त किये गये। 06 प्रकरण प्रक्रियाधीन है। **<u>विभागीय पत्र क्रमांक 4452/आर-3256/2010/27-1</u>** **<u>दिनांक 01.12.2014</u>**	**जॉंच निष्कर्ष के आधार पर दोषियों पर कार्यवाही किये जाने एवं शेष प्रकरणों की जॉंच शीघ्र कराये जाने के साथ समिति प्रकरण समाप्त करने की अनुशंसा करती है।**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3.	**728**	ता.प्र.सं10 (क्र.50) दिनांक14.7.09	इंदिरा सागर परियोजना और औंकारेश्वर परियोजना की नहरों पर बने एप्रोच रोड को जिला पहुंच मार्ग तक जो़डा जाना।	मार्च, 2010 तक आपकी पूरी एप्रोच रोड बनवा दी जावेगी।	संबंधित एप्रोच रोड़ बना दी गयी है। **विभागीय पत्र क्रमांक एफ-20-79/2010/ 27-1** **दिनांक 16.06.2011**	**कोई टिप्पणी नहीं।**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4.	**729**	अता.प्र.सं.10 (क्र.542) दिनांक14.7.09	वर्ष 2003 से 2009 तक रानी अवंतीबाई लोधी सागर परियोजना नहर संभाग क्रमांक 2 व 3 के अधीनस्थ कालोनियों के रख-रखाव के लिये आवंटित की गई राशि का दुरूपयोग एवं अनियमितता की जॉच एवं दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही।	दोषियों के विरूद्ध जॉच की कार्यवाही प्रचलन में है।	वर्ष 2003 से 2009 तक रानी अवंतीबाई लोधी सागर परियोजना नहर संभाग 2 एवं 3 के अधीनस्थ कालोनियों के रखरखाव के लिये आवंटित की गई राशि का दुरूपयोग एवं अनियमितता हेतु श्री ए.के.वैद्य उपयंत्री एवं श्री के.पी.दुबे सहायक यंत्री को निलंबित किया जाकर विभागीय जॉच संस्थापित की गई थी एवं नर्मदा घाटी विकास विभाग के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त किया गया। विभागीय जॉच मुख्य अभियंता(लो.नि.वि.) नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण द्वारा प्रक्रियाधीन है। जिसके निर्णय के पश्चात् निर्णय अनुसार कार्यवाही की जावेगी। वर्तमान में जॉच अधिकारी का निर्णय अपेक्षित है। शीघ्र सुनवाई हेतु माननीय उच्च न्यायालय से निवेदन किया गया है। **<u>विभागीय पत्र क्रमांक 3680/2289/ 2011/27-1 दिनांक 23.07.2012</u>** **<u>अद्यतन जानकारी :-</u>** श्री ए.के.वैद्य,उपयंत्री एवं श्री के.पी.दुबे,सहायक यंत्री को निलंबित किया जाकर विभागीय जॉच संस्थापित की गई एवं मुख्य अभियंता (लो.नि.वि.) नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण को विभागीय आदेश दिनाक 16.07.2010 द्वारा जॉचकर्ता अधिकारी नियुक्त किया	**जॉच निष्कर्ष के आधार पर विभाग द्वारा दोषियों पर कार्यवाही करने हेतु अनुशंसा करती है।**

					गया । तत्समय श्री बी. एस. एस.परिहार मुख्य अभियंता (वि./या.) नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण भोपाल मुख्य अभियंता (लो.नि.वि.) नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के अतिरिक्त प्रभार में रहे तथा इनके ही द्वारा प्रकरण की जॉंच की गई एवं जॉंच प्रतिवेदन दिनांक 02.11.2011 द्वारा विभाग को प्राप्त हुआ । जिसमे जॉंच के निष्कर्ष अंकित नहीं किये गये । अपूर्ण जॉंच प्रतिवेदन के कारण विभाग द्वारा इस जॉंच की कार्यवाही को रिमाण्ड करते हुये श्री बी.एस.एस.परिहार मुख्य अभियंता (वि.या.) नघविप्रा, भोपाल को विभागीय आदेश दिनांक 18 फरवरी 2014 द्वारा जॉंचकर्ता अधिकारी नियुक्त किया गया है एवं कार्यपालन यंत्री,रानी अवंतीबाई लोधी सागर,बायी तट नहर संभाग क्रमांक 02 बरगी नहर, जबलपुर को प्रस्तुतकर्त्ता अधिकारी नियुक्त किया गया है । जॉंच अधिकारी से जॉंच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर अंतिम निर्णय से अवगत कराया जावेगा । **विभागीय पत्र क्रमांक 974 आर.2289/ 2011/27-1,** **दिनांक 03.03.2014**	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5.	730	अता.प्र.सं.58 (क्र.2354) दिनांक14.7.09	कटनी जिले में वर्ष 2004-05 नर्मदा घाटी विकास योजना के तहत अधिग्रहित भूमि का शेष रहे भू-स्वामियों को भुगतान किया जाना।	शेष बचे 166 भूमि-स्वामियों को मुआवजे के भुगतान सह-खातेदारों की उपस्थिति फौती नामांतरण तथा स्वत्व संबंधी विवाद के निराकरण कराये जाने की कार्यवाही की जा रही है।	शेष बचे 166 भू-स्वामियों में से 102 भू-स्वामियों को भू-अर्जन की मुआवजा राशि का भुगतान किया जा चुका है। शेष बचे 64 भू-स्वामियों का भुगतान उनकी अनुपस्थिति न्यायालयीन विवाद,स्वत्व विवाद के कारण नहीं किया जा सका है । उनकी राशि भू-अर्जन अधिकारी द्वारा आर.डी.खाता में कोषालय में जमा की जा चुकी है। **विभागीय पत्र क्रमांक एफ-20/77/ 2010/27-1, दिनांक 28.08.2010**	**कोई टिप्पणी नहीं।**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
6.	**731**	परि.ता.प्र.सं.16 (क्रं. 1747) दि.28.07.09	बड़वाहा तहसील के ग्राम गलगांव में औंकारेश्वर परियोजना के अंतर्गत मुख्य नहर की उप शाखा का गलत सर्वे एवं निर्माण किये जाने की प्रश्नकर्ता से प्राप्त शिकायती पत्रों पर कार्यवाही।	विभाग द्वारा की जाने वाली कार्यवाही परीक्षणाधीन है।	प्रश्नकर्ता माननीय विधायक जी के शिकायती पत्र पर कार्यवाही करते हुये तत्कालीन मुख्य अभियंता,निचली नर्मदा परियोजनाएं इन्दौर एवं अन्य परियोजना अधिकारियों द्वारा कार्यस्थल का निरीक्षण किया गया । संबंधित उप शाखा की रूपांकित लंबाई 6930 मीटर थी। उप नहर के 6500 मीटर आर.डी.तक नहर निर्माण का कार्य जारी है । संबंधित लाभांवित कास्तकार नहर की शेष टेल की लंबाई का निर्माण नहीं किये जाने की मांग कर रहे थे क्योकि इस टेल की लंबाई का निर्माण नहीं किये जाने से भी सिंचाई पर कोई प्रतिकूल असर नहीं हो रहा था । कार्यस्थल पर भी कृषकों की मांग उचित पाई गई । परीक्षण उपरांत 6500 मीटर आर.डी.तक की नहर निर्माण कार्य कराया जाना उचित माना गया है। परीक्षण के दौरान इस बात की भी पुष्टि की गई कि किसी गलत सर्वेक्षण या गलत निर्माण जैसी कोई स्थिति नहीं है। **<u>विभागीय पत्र क्रमांक एफ-20-80/ 2010/27-1, दिनांक 30.09.2010</u>**	**कोई टिप्पणी नहीं।**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7.	732	परि.ता.प्र.सं.34 (क्र.3104) दिनांक28.7.09	नर्मदा घाटी विकास विभाग में वर्ष 1988 के पश्चात् शेष रहे दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों का नियमितीकरण किया जाना ।	रिक्त पद उपलब्ध होने पर नियमित किया जा सकेगा ।	नर्मदा घाटी विकास विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ-18-151/2010/ सत्ताईस-एक /3307,दिनांक 13.10.2010 के पैरा-3 अनुसार ''मध्यप्रदेश शासन, नर्मदा घाटी विकास विभाग के संकल्प क्रमांक 50022 /नघाविप्रा./27/83 दिनांक 16.07.1985 के परिशिष्ट-1 की कंडिका-11 के परिपालन में नर्मदा घाटी विकास विभाग द्वारा परिपत्र क्रमांक 224/2/22/85/27 दिनांक 03.03.1986 /28.03.1986 के नियमों की स्वीकृति प्रदान की गई है । उपरोक्त नियम में स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण की कोई स्थायी संवर्ग व्यवस्था नहीं होगी। अधिकारी एवं कर्मचारी राज्य शासन के संबंधित विभागों, विद्युत मंडल एवं भारत सरकार से प्रतिनियुक्ति पर लिये जावेगें । इससे यह स्पष्ट है कि नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण में स्थायी रूप से नियुक्ति की कोई व्यवस्था नहीं है । माननीय सर्वोच्च न्यायालय के प्रकरण क्रमांक अपील 3595-3612/1999 में दि.10.04.2006 को पारित निर्णय के परिप्रेक्ष्य में मध्यप्रदेश शासन,सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक एफ-05-3/2006/1/3,दिनांक16.05.2007 में दिये गये निर्देश अनुसार दैनिक वेतन	**कोई टिप्पणी नहीं ।**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					भोगी कर्मचारियों को नियमित करने की कार्यवाही एक ही बार की जानी थी। इसी आधार पर प्राधिकरण द्वारा वर्ष 1988 के बाद के पात्र 126 दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमित किया गया है। स्थायी संवर्ग व्यवस्था न होने के कारण अब किसी भी दैनिक वेतन भोगी को नियमित किया जाना नियमानुसार संभव नहीं है। **विभागीय पत्र क्रमांक आर.2842/2010 /27-1, दिनांक 28.01.2012**	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
8.	**1197**	अता.प्र.सं.04 (क्र.1788) दिनांक04.08.09	खण्डवा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में नर्मदा सागर परियोजना की नहरों का निर्माण समय सीमा में पूर्ण किया जाना।	नहरों का निर्माण कार्य दिसम्बर, 2009 तक पूर्ण किया जाना संभावित।	माननीय उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश के फलस्वरूप 01 जुलाई,2009 से निर्माण कार्यो पर रोक लगे होने के कारण उक्त कार्य कराया जाना संभव नहीं है। स्थगन आदेश निरस्त होने पर ही कार्य पूर्ण किया जाना संभव हो सकेगा। **<u>विभागीय पत्र क्रमांक एफ-2-93/09/27-1, दिनांक 15.02.2010</u>** माननीय उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश दिनांक 01.07.2009 के विरूद्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 11.11.2009 के द्वारा स्थगन को समाप्त किया गया । उक्त आदेश के परिपालन में खंडवा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों(जुलवानिया,मातपुर,अमोदा,कालमुखी, धनगांव,देलगांव एवं बेडिया खर्दु) में नर्मदा सागर परियोजना की नहरों का निर्माण 20 जुलाई, 2015 में कार्य पूर्ण कर लिया गया है । **<u>विभागीय पत्र क्रमांक 590/2295221/ 2023/सत्ताईस-एक, दिनांक 10.03.2023</u>**	**कोई टिप्पणी नहीं**

जुलाई-अगस्त 2009
धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग

स.क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या, प्रश्न क्रमांक, दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	समिति का अभिमत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	889	ता.प्र.सं.11 (क्र.477) 08.07.2009	सागर जिले के सुरखी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत धार्मिक ट्रस्टों की भूमि एवं संपत्ति की नीलामी की बाकायादारों से वसूली की कार्यवाही।	1.बकायादारों के विरूद्ध कार्यवाही की जा रही है। 2. पहली नीलामी की बिन्दुवार जॉंच करा लें और कोई दोषी हो तो उस पर कार्यवाही करें। 3.मैं कलेक्टर को निर्देशित करूंगा कि उसकी जॉंच करा लें और जॉंच पर कार्यवाही हो जायेगी।	कलेक्टर, जिला सागर द्वारा अवगत कराया गया है कि जॉंच में नीलामी की कार्यवाही विधिवत पाया गया और कोई भी व्यक्ति दोषी नहीं पाया गया। विभागीय पत्र क्रमांक एफ-6/19/ 2009/छै: दिनांक 05.02.2011	कोई टिप्पणी नहीं।
2.	890	परि.ता.प्र.सं.64 (क्र.1556) 08.07.2009	पन्ना जिले की विधानसभा क्षेत्र गुन्नौर क्षेत्रान्तर्गत आने वाले मंदिरों की भूमि की फसल की नीलामी से प्राप्त राशि को सरकारी खजाने में जमा की जाना।	कुल 6 प्रकरणों में वसूली की कार्यवाही की जा रही है।	श्री राम जानकी मंदिर अखाड़ा भिलसाय की वर्ष 2006-07 एवं श्री लक्ष्मीनारायण मंदिर ककरहटी की वर्ष 2005-06 की वसूली हेतु राशि शेष नहीं है। विलम्ब से वसूली का कारण जिले में अल्पवर्षा सूखा एवं पाला से प्रभावित होना रहा है। विभागीय पत्र क्रमांक एफ-6-14/ 2009/छै: दिनांक 29.11.2014	कोई टिप्पणी नहीं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3.	**891**	**अता.प्र.सं.49 (क्र.1096) 08.07.2009**	भिण्ड जिले में मंदिरों के मरम्मत हेतु वर्ष 2009-10 के बजट में राशि का आवंटन।	वर्ष 2009-10 के बजट की कार्यवाही प्रचलित है।	विभाग के आदेश क्रमांक एफ 3-7/09/छै: दिनांक 03.01.2010 से रूपये 309066/- का आवंटन दिया गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक एफ-6/16/2009/छै:** **दिनांक 04.09.2010**	**कोई टिप्पणी नहीं।**
4.	**892**	**अता.प्र.सं.88 (क्र.1574) 08.07.2009**	भिण्ड जिले में प्राचीन मंदिरों के रख-रखाव व जीर्णोद्धार हेतु शासन द्वारा राशि का प्रदाय।	रूपये 12.00 लाख (रूपये बारह लाख आवंटन दिये जाने की कार्यवाही प्रचलित है।	आदेश दिनांक 03.01.2010 से रूपये 309066/- रूपये तीन लाख नौ हजार छियासठ) एवं आदेश दिनांक 01.05.2010 से रूपये 10,00,000/-(रूपये दस लाख) मात्र आवंटन दिया गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक एफ-6/15/2009/छै:** **दिनांक 21.10.2010**	**कोई टिप्पणी नहीं।**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5.	**893**	**परि.ता.प्र.सं.30 (क्र.1724) 15.07.2009**	जिला मंदसौर के दुधाखेड़ी माताजी के मंदिर की प्रबंध समिति की बैठक आहुत करने के लिये प्रश्नकर्त्ता सदस्य द्वारा प्रबंध समिति के अध्यक्ष को दिये गये पत्र पर कार्यवाही।	अध्यक्ष द्वारा बैठक आहूत करने बाबत् कार्यवाही की जा रही है।	दूधाखेड़ी माताजी मंदिर की प्रबंध समिति की बैठक समय समय पर आयोजित की जा रही है तथा बैठक में सभी सदस्यों को आमंत्रित किया जाता है। बैठक मं लिये गये निर्णयों पर भी यथासमय कार्यवाही की जाती है । वर्तमान में दिनांक 29.09.2014 को बैठक आयोजित की गई थी। **विभागीय पत्र क्रमांक एफ-6-91/ 2014/छै:** **दिनांक 13.01.2015**	**कोई टिप्पणी नहीं।**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
6.	**894**	**परि.ता.प्र.सं.31 (क्र.1725) 15.07.2009**	मंदसौर जिले की नावली पंचायत की ग्राम सभा द्वारा ताकेश्वरी मंदिर के पुजारी की नियुक्ति के संबंध में प्रश्नकर्त्ता द्वारा कलेक्टर को लिखे पत्र पर कार्यवाही।	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) गरोठ द्वारा जॉंच की जा रही है।	जॉंच के दौरान पाया गया कि प्रश्नकर्त्ता द्वारा नामली पंचायत की ग्राम सभा द्वारा ताकेश्वर मंदिर के पुजारी नियुक्ति के संबंध में आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन में निगरानी प्रस्तुत की गई है। **विभागीय पत्र क्रमांक 238/179/ 2011/छै:** **दिनांक 07.03.2011** ग्राम पंचायत नावली द्वारा श्री मोहनलाल जोशी की नियुक्ति उक्त मंदिर पर की गई थी। अनावेदक श्री महेश कुमार द्वारा कलेक्टर न्यायालय में पारित आदेश दिनांक 27.12.2007 के विरूद्ध आयुक्त उज्जैन संभाग को निगरानी प्रस्तुत की गई जो कि दिनांक 12.01.2010 को निरस्त की गई है। **विभागीय पत्र क्रमांक 1037/1280 /2011/छै:** **दिनांक 28.10.2011**	**कोई टिप्पणी नहीं।**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7.	895	परि.ता.प्र.सं.35 (क्र.1937) 15.07.2009	मुलताई को पवित्र नगर घोषित किये जाने के बाद उसका विकास एवं सुविधाएं उपलब्ध कराई जाना।	वन विभाग द्वारा क्षेत्र में पाई जाने वाली जड़ी – बूटियों के उत्पादन एवं संवर्धन को प्रोत्साहन देने हेतु योजना बनाई जा रही है। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा संस्कृत विद्यालय की स्थापना की कार्यवाही की जा रही है।	वन विभाग के प्रतिवेदन अनुसार जड़ी बुटियां के उत्पादन संवर्धन संबंधित 899 को चयन कर प्रोजेक्ट तैयार कर अंतिम रूप दिया जा रहा है। पृथक से संस्कृत / संगीत विद्यालय खोले जाने की नीति व नियमों में व्यवस्था नहीं है। नगर में संचालित सभी शासकीय विद्यालयों में संस्कृत भाषा के अध्ययन की व्यवस्था है। **विभागीय पत्र क्रमांक एफ-6/20/ 2009/छै:** **दिनांक 05.02.2011**	**कोई टिप्पणी नहीं।**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
8.	**920**	**अता.प्र.सं.92 (क्र.4844) 29.07.2009**	रीवा जिले की त्यौथर तहसील स्थित राम जानकी मंदिर घटेहा की स्थाई-अस्थाई संपत्तियों पर से अनाधिकृत कब्जा हटाया जाना एवं अतिक्रमणकारियों के विरूद्ध कार्यवाही तथा मंदिर तथा मंदिर की संपत्तियों के प्रबंधन के लिये ट्रस्ट का गठन।	अनाधिकृत कब्जा के संबंध में नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है । नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।	रामजानकी मंदिर घटेहा जिला रीवा की संपत्तियों पर से अनाधिकृत कब्जा हटाना एवं द्वितीय मंदिर तथा मंदिर की संपत्तियों के प्रबंधन के लिये ट्रस्ट का गठन के संबंध में अतिक्रमणकारियों को बेदखलकर अर्थदंड अधिरोपित किया गया। **विभागीय पत्र क्रमांक 37/2009/छै दिनांक 01.10.2011** कलेक्टर, रीवा के उत्तर अनुसार अनाधिकृत कब्जा के संबंध में अतिक्रमणकारियों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है। **विभागीय पत्र क्रमांक एफ 6-37/ 2009/छै:** **दिनांक 05.11.2016**	**कोई टिप्पणी नहीं।**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
9.	921	**ता.प्र.सं.25 (क्र.477) 08.07.2009 प्रश्नों के पूर्ण उत्तर खंड-2**	सागर जिले के सुरखी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत धार्मिक स्थल ट्रस्टों की कृषि भूमि एवं अचल संपत्ति की विगत तीन वर्षो की नीलामी की बकायादारों से बकाया राशि की वसूली।	बकायादारों के विरूद्ध कार्यवाही की जा रही है।	न्यायालय तहसीलदार तहसील त्योथर के प्र.क्र.3/अ/68/08-09 एवं प्र.क्र.4/अ/68/ 08-09 आदेश दिनांक 15.02.10 से अतिक्रमणकारी को बेदखल कर 500-500 सौ रूपये अर्थदंड से अधिरोपित किया गया मौके से बेदखली हेतु राजस्व निरीक्षक एवं थाना प्रभारी को पत्र जारी किया गया है। ट्रस्ट गठन की कार्यवाही की जा रही है। **विभागीय पत्र क्रमांक एफ-6/37/ 2009/छै:** **दिनांक 05.04.2010** श्री देव जानकी रमण मंदिर बिलहरा की वर्ष 2007-08 में नीलामी की राशि रूपये 92000/- श्री गोविन्द तिवारी से वर्ष 2008-09 की नीलामी की शेष राशि रूपये 15000/- श्री तिलकसिंह से तथा ग्राम मुन्डी में स्थित रसिक बिहारी मंदिर की वर्ष 2008-09 की शेष राशि 64000/- श्री प्रेमनारायण से तथा वर्ष 2009-10 नीलाम की शेष राशि 43000/- रूपये बृजभान से वसूल की जाकर संबंधित मंदिर के खाते में जमा की जा चुकी है। वर्तमान में नीलामी की कोई राशि वसूली हेतु शेष नहीं है। **विभागीय पत्र क्रमांक एफ-6/19/ 2009/छै:** **दिनांक 09.09.2011**	**कोई टिप्पणी नहीं।**

जुलाई-अगस्त 2009

तकनीकी शिक्षा,कौशल विकास एवं रोजगार विभाग

<table>
<tr><th>स.क्र.</th><th>आश्वासन क्रमांक</th><th>प्रश्न संख्या, प्रश्न क्रमांक, दिनांक</th><th>आश्वासन का संक्षिप्त विषय</th><th>आश्वासन का रूप</th><th>शासन द्वारा की गई कार्यवाही</th><th>समिति का अभिमत</th></tr>
<tr><td>(1)</td><td>(2)</td><td>(3)</td><td>(4)</td><td>(5)</td><td>(6)</td><td>(7)</td></tr>
<tr><td>1.</td><td>864</td><td>ध्यानाकर्षण सूचना क्रं.55 07.07.2009</td><td>मध्यप्रदेश व्यवसायिक परीक्षा मंडल द्वारा प्रतियोगी परीक्षाओं में लिये जा रहे शुल्क में कमी की जाना।</td><td>हम इस बात का परीक्षण करा लेगे कि क्या इसमें हो सकता है ।</td><td>मंडल के अध्यक्ष द्वारा वर्ष 2009 में परीक्षा शुल्क पुनरीक्षण हेतु समिति गठित की गई थी । समिति द्वारा दिनांक 25.11.2009 को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। प्रतिवेदन में एम.ई.टी./एम.सी.ए. एवं पी.ई.पी.टी./पी.ए.टी एवं पी.एम.टी. की दरों को निम्नानुसार पुनरीक्षित किया गया है :-
<table>
<tr><th>सं.क्र.</th><th colspan="2">परीक्षा का नाम</th><th>पूर्व की दर</th><th>पुरीक्षित दर</th></tr>
<tr><td>1.</td><td colspan="2">पी.ई.टी.
एम.सी.ए.
एम.ई.टी+एम.सी.ए.
(दोनों के लिए)</td><td>1500/-
1000/-
2000/-</td><td>1300/-
700/-
1500/-</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>पी.ई.टी.
एवं
पी.ए.टी.</td><td>अनारक्षित/
अन्य
पिछड़ा वर्ग</td><td>700/-</td><td>600/-</td></tr>
</table>
इस प्रकार एम.ई.टी./ एम.सी.ए. तथा पी.ए.टी. परीक्षाओं में पूर्व की तुलना में दरें कम की गई है । केवल पी.एम.टी.की दरें पुनरीक्षण के बाद बढ़ाकर रूपये 700/- के स्थान पर रूपये 800/- की गई है । शुल्क पुनरीक्षण प्रतिवेदन मंडल की कार्यपालक समिति के समक्ष अनुमोदन हेतु दिनांक 05.01.2010 को प्रस्तुत किया गया था,जो अनुमोदित हुआ है । शेष परीक्षाओं की दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है ।
विभागीय पत्र क्रमांक एफ 30-15/2009/बयालीस-1
दिनांक 13.05.2010</td><td>कोई टिप्पणी नहीं ।</td></tr>
</table>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.	865	**ध्यानाकर्षण सूचना क्रं.648 23.07.2009**	टीकमगढ़ विकासखंड में संविदा शिक्षक वर्ग 3 के 17 विज्ञापनों के साथ 103 अतिथि शिक्षकों की भी व्यापम से भर्ती न किये जाने की जॉच एवं कार्यवाही ।	इसकी जॉच करवाकर इसको सुधार लिया जावेगा । जॉच के उपरांत दोषी व्यक्ति के खिलाफ जो भी नियमानुसार सजा होगी वह करेंगे।	अतिथि शिक्षकों की भर्ती संबंधी प्रक्रिया व्यवसायिक परीक्षा मंडल स्तर से नहीं की गई है । विभाग के निर्देशानुसार मध्यप्रदेश व्यवसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा संविदा शाला शिक्षक वर्ग-3 हेतु पात्रता परीक्षा आयोजित की गई थी । मंडल का कार्य केवल परीक्षा का आयोजन कर परिणाम/अंकसूची/सहप्रमाण जारी करना है । जिसके आधार पर पात्र सभी आवेदकों को अंकसूची सह प्रमाण पत्र मंडल द्वारा संबंधितों को यथा समय जारी किये गये थे । विभाग द्वारा कार्यवाही पूर्ण की गई । **विभागीय पत्र क्रमांक 884/3166/2009/बयालीस(1) दिनांक 13.05.2010**	**कोई टिप्पणी नहीं।**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3.	866	**ध्यानाकर्षण सूचना क्रं.893 27.07.2009**	1.प्रदेश के व्यावसायिक शिक्षा संस्थाओं में प्रदेश के लिये पिछले तीन सालों की चयन सूची की जॉंच एवं इसकी माननीय सदस्य को जानकारी दी जाना। 2.व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं पर आय कर विभाग द्वारा मारे गये छापों में करोड़ो की संपत्ति मिलने पर इसमें लिप्त शासकीय अधिकारियों / कर्मचारियों के लिप्त होने की जॉंच एवं कार्यवाही।	1. इस प्रकिया की कुछ और जानकारी उपलब्ध करवाकर माननीय सदस्य को अवगत करा दूंगी। 2. आयकर विभाग से दस्तावेज प्राप्त होने पर हम पूरी जॉंच करायेंगे और जो दोषी अधिकारी मेरे अपने विभाग में कार्यरत है उन पर कार्यवाही करने का निर्णय मैं ले सकती हूं अन्य के बारे में मेरा कहना उचित नहीं है।	आयकर विभाग द्वारा दिनांक 23.07.2009 को निजी इंजीनियरिंग एवं मेडिकल कॉलेजों के संचालकों के यहॉं की गई छापे की कार्यवाही के संबंध में दिये गये आश्वासन की पूर्ति हेतु विभाग के पत्र क्रमांक एफ 30-26/2009/42-1 दिनांक 3 अगस्त,2009 के द्वारा मुख्य आयकर आयुक्त आयकर विभाग भोपाल से अनियमित प्रदेश के संबंध में जब्त दस्तावेजों की प्रति तथा विभाग के अधिकारियों की संलिप्तता के संबंध में जानकारी प्राप्त करने का अनुरोध किया गया। इसके पश्चात विभाग के पत्र दि. 06.09.2010, 07.02.2011 एवं 20.04.2011 के द्वारा शीघ्र जानकारी भेजने के लिए आयकर विभाग को स्मरण कराया गया। सचिव के अर्द्ध शासकीय पत्र दिनांक 08 जुलाई, 2011 के द्वारा महानिदेशक आयकर (अन्वेषण) भोपाल को पत्र लिखकर विधानसभा आश्वासन की पूर्ति के लिए विभाग को शीघ्र जानकारी भेजने का निवेदन किया गया। आयकर विभाग से जानकारी अप्राप्त है। विभाग स्तर पर किसी प्रकार की कार्यवाही लंबित नहीं है। **<u>विभागीय पत्र क्रमांक एफ 30/26/2009/42/1 दिनांक 17.11.2011</u>** 1. दिनांक 08.07.2011 के बाद इस विभाग द्वारा दिनांक 06.11.2013 एवं 25.11.2014 को आयकर विभाग से जानकारी प्राप्त करने के लिए पत्र लिखा गया है। 2. आयकर विभाग भारत सरकार के अंतर्गत आता है राज्य शासन के स्तर पर कार्यवाही शेष नही है।	**कोई टिप्पणी नहीं।**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					<u>विभागीय पत्र क्रमांक एफ 30-26/2009/ बयालीस(1) दिनांक 28 नवम्बर,2014</u> आयकर विभाग से किसी भी शासकीय अधिकारी/कर्मचारी की संलिप्तता की सूचना प्राप्त नहीं हुई है। कोई कार्यवाही लंबित नहीं है। <u>विभागीय पत्र क्रमांक 30/26/2009/बयालीस/1 दिनांक 09.12.2017</u>	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4.	**1137**	**परि.ता.प्र.सं. 80 (क्रमांक 4654) 31.07.2009**	इंदिरा गांधी इंजीनियरिंग कॉलेज सागर के अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों को बुक बैंक योजना का लाभ दिया जाना।	आगामी शिक्षा सत्र के प्रारंभ में ही उपरोक्त वर्गो के पात्र विद्यार्थियों को बुक बैंक योजना का लाभ दिया जाएगा।	संस्था के अनुसूचित जाति /जनजाति के छात्रों को बुक बैंक योजना का लाभ दिनांक 24.03.2009 से दिया जा रहा है। **विभागीय पत्र क्रमांक एफ 30-20/2009/बयालीस(1) दिनांक 09.09.2010**	**कोई टिप्पणी नहीं।**
5.	**1138**	**अता.प्र.सं. 39 (क्रमांक 3899) 31.07.2009**	जिला मुरैना की सबलगढ़ आई.टी.आई. में नवीन ट्रेड खोला जाना।	वर्ष 2009-10 में सबलगढ़ आई.टी.आई. को सम्मिलित किया जाना विचाराधीन है। पीपीपी मोड में शामिल करने की स्वीकृति केन्द्र सरकार से प्राप्त होने पर यथा अनुमोदित नवीन ट्रेड प्रारंभ किये जा सकेगें।	भारत सरकार के पत्र दिनांक 30.09.2009 द्वारा पीपीपी योजना के अंतर्गत आईटीआई सबलगढ़ को सम्मिलित करने की स्वीकृति प्रदान की गई है एवं संस्था की इंस्टीट्यूट मैनेजिंग कमेटी (पंजीकृत सोसायटी) को राशि रूपये 250.00 लाख का ब्याज रहित ऋण भारत सरकार से प्राप्त हो चुका है। संचालनालय प्रशिक्षण के आदेश दिनांक 26.02.2010 द्वारा सबलगढ़ आईटीआई में नवीन वेल्डर व्यवसाय प्रारंभ करने की अनुमति जारी कर दी गई है। **विभागीय पत्र क्रमांक एफ 12-28/2004/बयालीस/2 दिनांक 08 मार्च,2010**	**कोई टिप्पणी नहीं।**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
6.	**1139**	**अता.प्र.सं. 117 (क्रमांक 5029) 31.07.2009**	व्यावसायिक परीक्षा मंडल में पिछले पांच वर्षों की आडिट रिपोर्ट में पाई गई कमियों को दूर किये जाने के लिये की गई कार्यवाही एवं कम्प्यूटर खरीदी में अनियमितता की जॉंच एवं कार्यवाही।	आडिट रिपोर्ट की कमियों के संबंध में जानकारी एकत्रित की जा रही है । कम्प्यूटर खरीदी के संबंध में राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरों की कार्यवाही प्रचलित है ।	5 वर्षो की आडिट रिपोर्ट में पाई गई कमियों को दूर किये जाने के संबंध में व्यापम द्वारा 184 कंडिकाओं के विरूद्ध 173 कंडिकाओं का उत्तर स्थानीय निधि संपरीक्षा को भेजा गया है, शेष 11 कंडिकाओं के निराकरण के संबंध में कार्यवाही की जा रही है । वर्ष 2003-04 में मंडल में कम्प्यूटर खरीदी के विषय में 03 अधिकारियों के विरूद्ध अभियोजन संस्थित करने के संबंध में में आगामी कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। श्री अशोक मिश्रा तत्कालीन संयुक्त नियंत्रक की सेवायें जल संसाधन विभाग को वापस की जा चुकी है। इनके विरूद्ध अभियोजन स्वीकृति की आगामी कार्यवाही के लिये राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरों को पत्र दिनांक 16.11.2011 को लिखा गया है। **<u>विभागीय पत्र दिनांक एफ 30-22/2009/बयालीस(1) दिनांक 30.06.2012</u>** पिछले पांच वर्षो में वर्ष 2002-03 की कुल 62,वर्ष 2004-05 एवं 2005-06 की कुल कंडिकाओं 53 वर्ष 2006-07 की कुल 69 कंडिकाओं का उत्तर स्थानीय निधि संपरीक्षा को भेजा जा चुका है। इस प्रकार पांच वर्ष की कुल 184 कंडिकाओं का उत्तर भेजा जा चुका है। 2. कम्प्यूटर खरीदी में अनियमितता की जॉंच के संबंध में मंडल के तीन अधिकारियों श्री अशोक मिश्रा,तत्कालीन उप नियंत्रक एवं वित्त अधिकारी श्री निमिन मोहिन्द्र सीनियर सिस्टम एनालिस्ट एवं श्री अजय कुमार सिस्टम एनालिस्ट के विरूद्ध अभियोजन स्वीकृति मंडल के आदेश क्रमांक व्यापम/2/ स्था/91/2/13/6323/2013 दि. 09.10.2013 द्वारा की गई है। **<u>विभागीय पत्र क्रमांक एफ 30-22/2009/बयालीस(1) दिनांक 10.09.2014</u>**	**कोई टिप्पणी नहीं।**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7.	1248	अता.प्र.सं. 19 (क्रमांक 1347) 17.07.2009 प्रश्नों के पूर्ण उत्तर खंड-4	दमोह जिले के वन भूमि पर निर्मित ग्राम नोहटा का मिनी आई.टी.आई.भवन/शेड तथा समनापुर ग्राम में आदिवासी छात्रावास भवन को राजस्व भूमि में हस्तांरण करने की कार्यवाही।	निराकरण होने पर आगामी कार्यवाही कलेक्टर दमोह द्वारा की जाना संभव होगा।	कलेक्टर दमोह द्वारा दी गई जानकारी अनुसार:- 1. ग्राम नोहटा में निर्मित ट्रायसेम केन्द्र(आईटीआई) भवन निर्माण हेतु पूर्व में आवंटित भूमि वन परिभाषित होने से उसके बदले राजस्व प्रकरण क्रमांक 257 अ /19(2) वर्ष 2010-11 में पारित आदेश दिनांक 29.08.11 के अनुसार ग्राम नोहटा की शासकीय राजस्व भूमि ख.नं. 389/2 रकबा 1.10 हे.भूमि आईटीआई भवन निर्माण हेतु आवंटित कर दी गई है। 2. समनापुर ग्राम में संचालित आदिवासी बालक छात्रावास का भवन निर्माण शासकीय भूमि ख.नं. 542 के रकबा 0.69 हे. भूमि पर किया जा रहा था। यह भूमि वन क्रमांक 221 हेक्टे. अंतर्गत बताकर कार्य बंद करा दिया गया है। प्रधान मुख्य संरक्षक भोपाल से आरक्षित कक्ष क्रमांक 221 का नक्शा प्राप्त कर राजस्व भूमि हस्तांतरण की कार्यवाही वन विभाग एवं आदिम जाति कल्याण विभाग अंतर्गत प्रचलन में है। **विभागीय पत्र क्रमांक 2423/1063/2012/42/2 दिनांक 18.11.2014**	**कोई टिप्पणी नहीं।**

जुलाई-अगस्त 2009
जैव विविधता जैव प्रौद्योगिकी विभाग

स.क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या, प्रश्न क्रमांक, दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	समिति का अभिमत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	904	**मांग संख्या 71 22.07.2009**	रीवा जिले में बायो फ्यूल एनर्जी और बायोडायवसिर्टी पार्क हेतु जमीन का आवंटन।	रीवा जिले में बायोफ्यूल एनर्जी और बायो डायवसिर्टी पार्क हेतु 50 एकड़ भूमि चिन्हित की गई है । वहां पर बायोडीजल प्लांट लगाने का रास्ता प्रशस्त होगा।	रीवा शहर में जैव ऊर्जा पार्क की स्थापना हेतु ग्राम बटलों की शासकीय भूमि खसरा क्रमांक-848, 850, 851, 1960, 1967 कुल क्षेत्रफल 19.649 हेक्टेयर भूमि मध्यप्रदेश शासन जैव विविधता एवं जैव प्रोद्योगिकी विभाग को हस्तांतरित की गई है । मध्यप्रदेश जैव प्रोद्योगिकी परिषद के संचालक मंडल रीवा में जैव ऊर्जा पार्क हेतु विस्तृत परियोजना प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया गया है। जिसके बाद ऊर्जा पार्क का कार्य प्रारंभ होते ही वहां बायों डीजल प्लांट लगाने का रास्ता प्रशस्त होगा। **विभागीय पत्र क्रमांक 82/708/ 09/57** **भोपाल दिनांक 04.02.2010**	**कोई टिप्पणी नहीं।**

जुलाई-अगस्त 2009 सत्र
जेल विभाग

स.क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या, प्रश्न क्रमांक, दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	समिति का अभिमत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	827	ता.प्र.सं. 4 (क्र.662) 06.07.2009	तहसील विजयपुर में निर्मित जेल को प्रारंभ किया जाकर स्टाफ और सामग्री की व्यवस्था की जाना।	लोक निर्माण विभाग द्वारा कार्यो को पूरा करा दिये जाने के पश्चात उप जेल हेतु आवश्यक स्टाफ व सामग्री की व्यवस्था कर प्रारंभ किया जाना।	उप जेल विजयपुर में शेष रहे कार्यो को शीघ्र पूरा कराने हेतु जेल मुख्यालय के ज्ञाप क्रमांक 26409/भवन दिनांक 10.12.09 पत्र क्रमांक 370/भवन/दि 08.01.2010, पत्र क्रमांक 1870/भवन दिनांक 05.02.2010 ज्ञाप क्रमांक 3219/भवन दिनांक 09.03.2010 ज्ञाप क्रमांक 4848/भवन दिनांक 20.04.2010 एवं ज्ञाप क्रमांक 7011/भवन दिनांक 04.06.2010 द्वारा लोक निर्माण विभाग को लेख किया गया है । लोक निर्माण विभाग द्वारा कार्य पूर्ण करा दिए जाने के पश्चात स्टाफ व सामग्री की व्यवस्थाओं की पूर्ति कर प्रारंभ किया जा सकेगा। **विभागीय पत्र क्रमांक 16-14/2009/तीन** **दिनांक 15.10.2010**	**कोई टिप्पणी नहीं।**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2	828	ता.प्र.सं.20 (क्र.132) 06.07.2009	मध्यप्रदेश के जेलरों की पदोन्नति तथा परिवीक्षा एवं कल्याण अधिकारी कीपदोन्नति मध्यप्रदेश राज्य पत्र क्रमांक 673 दिनांक 25.10.2008 अनुसार की जाना।	जेल अधीक्षक (जेलर संवर्ग) से अधीक्षक जेल के पद पर नियमानुसार पदोन्नति की कार्यवाही प्रचलन में है । नियमानुसार पदोन्नति की कार्यवाही की जायेगी । सामान्य प्रशासन विभाग से अभिमत प्राप्त कर नियमानुसार पदोन्नति की कार्यवाही प्रचलन में है।	शासन जेल विभाग द्वारा आदेश क्रमांक एफ 2(बी) 24 /2005/3/821/दिनांक 4.08.2009 द्वारा वरिष्ठ परिवीक्षा एवं कल्याण अधिकारी संवर्ग से 05 पद पर पदोन्नति दी गई है । उक्त पदोन्नति माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर में दायर याचिका क्रमांक डब्ल्यू. पी.5588/09 श्री मधुकांत तिवारी एवं अन्य के अंतिम निर्णय के अधीन है। माननीय उच्च न्यायालय में पारित आदेश के अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी। **विभागीय पत्र क्रमांक 16-14/2009/तीन दिनांक 15.10.2010**	**कोई टिप्पणी नहीं।**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3	829	अता.प्र.सं.30 (क्र.359) 06.07.2009	ग्वालियर एवं डबरा जेल में कैदियों की क्षमता के अनुसार रखा जाना।	50 नवीन बैरकों का निर्माण पूर्ण हो चुका जिसमें कैदियों को रखा जायेगा।	केन्द्रीय जेल ग्वालियर में 1559 बंदियों को रखने की अधिकृत आवास क्षमता है। जिसके विरूद्ध 2098 बंदी 31 मई 2010 को परिरूद्ध है। इसके अतिरक्त केन्द्रीय जेल में 50 नग बैरिकों का कार्य कराया गया है जो लगभग पूर्ण हो चुका है । केवल पहुंच मार्ग एवं समतलीकरण का कार्य पूर्ण किया जाना है । इन नई बैरिको को प्रारंभ करने हेतु अतिरिक्त अमले की आवश्यकता है । इस हेतु प्रहरी वर्ग की भर्ती प्रक्रिया प्रचलन में है। वर्तमान में व्यापम द्वारा परीक्षा परिणाम एवं शारीरिक अर्हता प्रवीणता परीक्षा पूर्ण हो चुकी है। योग्य पाये गये अभ्यर्थियों के चरित्र सत्यापन की कार्यवाही पूर्ण होते ही प्रहरियों के नियुक्ति आदेश जारी किये जायेगें । 50 नग बैरिकों हेतु पहुंच मार्ग व समतलीकरण का कार्य लोक निर्माण विभाग द्वारा पूरा किये जाने तथा प्रहरी वर्ग के रिक्त पदों की पूर्ति की प्रक्रिया पूर्ण होने पर निर्मित बैरिकों का उपयोग प्रारंभ हो सकेगा । इन 50 बैरिकों के प्रारंभ होने एवं केन्द्रीय जेल की क्षमता 1559 बढ़कर 2559 हो जावेगी। **विभागीय पत्र क्रमांक 16-14/2009/तीन 1664 दिनांक 16.10.2010**	**कोई टिप्पणी नहीं।**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
4	830	अता.प्र.सं.54 (क्र.579) 06.07.2009	बड़नगर उप जेल को प्रारंभ कराया जाना।	जेल के लिये आवश्यक स्टाफ व सामग्री की व्यवस्था कर जेल को प्रारंभ किया जा सकेगा।	उप जेल भवन बड़नगर में शेष रहे कार्यो को पूरा कराने हेतु दिनांक 29.11.2009 को जेल मुख्यालय में लोक निर्माण विभाग के साथ बैठक कर लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए गए । तदोपरांत पुन: ज्ञाप क्रमांक 334/भवन दिनांक 07.01.2010 ज्ञाप क्रमांक 5423/भवन/दिनांक 11.03;2010 द्वारा कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग उज्जैन को एवं ज्ञाप क्रमांक 7074 /भवन/दिनांक 05.06.2010 द्वारा जिलाध्यक्ष उज्जैन को लेख किया गया है । जेल हेतु आवश्यक अमले का प्रस्ताव राज्य शासन को एकल नस्ती क्रमांक 05 /सा. स्था. /2009 द्वारा जावक क्रमांक 83 दिनांक 16.03.2009 द्वारा शासन को प्रेषित है। जेल निर्माण पूरा होने एवं स्टाफ की व्यवस्था होने पर सामग्री की व्यवस्था करते हुए जेल को प्रारंभ किया जाएगा। **विभागीय पत्र क्रमांक 16-14/2009/तीन दिनांक 15.10.2010**	**कोई टिप्पणी नहीं।**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5	831	ता.प्र.सं.2 (क्र.631) 13.07.2009	1. प्रदेश में बंदियों को रखने के लिये बैरकों का निर्माण। 2. रीवा जेल के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा बंदियों का शोषण किये जाने की जॉच एवं कार्यवाही।	1.शेष 159 बैरिक अभी निर्माणाधीन है । यह व्यवस्था जल्दी कर रहे है 1 2. जॉच करवा देगें।	वर्तमान में पर्सपेक्टिव प्लान 2002-07 स्वीकृत बैरिकों में से 142 बैरिकों का कार्य लोक निर्माण विभाग द्वारा पूरा किया जाना शेष है। प्रगतिरत कार्यो को शीघ्र पूरा कराने के प्रयास जारी है । प्रकरण में उप महानिरीक्षक स्तर के अधिकारी से जॉच कराई जा रही है। विभागीय पत्र क्रमांक 16-17/2009/तीन 946 दिनांक 12.05.2010 माह मार्च 2011 की स्थिति में 324 बैरिकों का निर्माण पूर्ण हो चुका है। प्रकरण में उप महानिरीक्षक स्तर से जॉच कराई गई। जिसके अनुसार शिकायत असत्य पाई गई है। कोई कार्यवाही शेष नहीं है। **विभागीय पत्र क्रमांक 16-17/2009/तीन /जेल** **दिनांक 06.09.2011**	**कोई टिप्पणी नहीं।**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
6	832	अता.प्र.सं.15 (क्र.595) 13.07.2009	भिण्ड जिले में उप जेल लहार में अतिरिक्त बैरकों का निर्माण।	उप जेल लहार में कैदियों हेतु अतिरिक्त बैरिकों का निर्माण कराया जा रहा है।	उप जेल लहार में राज्य शासन,जेल विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ 3-108/2002/3/जेल,दिनांक 17.09.2014 द्वारा 03 बैरिकों के निर्माण हेतु राशि रूपये 17.85 की स्वीकृति एवं ज्ञापन क्रमांक एफ 3-13/2009/3/तीन, दिनांक 04.04.2008 द्वारा कंपाउंड वॉल के निर्माण स्वीकृति लोक निर्माण विभाग को प्रदान हुई है। उप जेल लहार में बैरिकों का कार्य कंपाउंड वाल सहित लोक निर्माण विभाग द्वारा कराया जा रहा है। जो पूर्णता के अंतिम चरण में है। **विभागीय पत्र क्रमांक 16-20/2009/तीन 260** **दिनांक 08.02.2009**	**कोई टिप्पणी नहीं।**
7	833	अता.प्र.सं.39 (क्र.1581) 13.07.2009	प्रदेश की जेलों /उप जेलों में जेलर एवं प्रहरियों के रिक्त पदों की पूर्ति।	सीधी भर्ती के पदों को भरने की कार्यवाही लोक सेवा आयोग एवं व्यवसायिक परीक्षा मण्डल के द्वारा की जा रही है।	विभागीय पदोन्नति परीक्षा के माध्यम से उप जेलरों के 16 पद भरे जा चुके है। निर्धारित जबकि प्रहरी पदों की पूर्ति हेतु चयनित उम्मीदवारों के चरित्र सत्यापन की कार्यवाही प्रचलन में है। चरित्र सत्यापन की कार्यवाही पूर्ण होते ही प्रहरियों के नियुक्ति आदेश जारी किये जायेगें। **विभागीय पत्र क्रमांक 16-14/2009/तीन** **दिनांक 15.10.2010**	**कोई टिप्पणी नहीं।**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
8	834	परि.ता.प्र.सं.84 (क्र.3063) 20.07.2009	जिला उज्जैन की महिदपुर सब जेल में कैदियों की पिटाई की शिकायत मानव अधिकार आयोग एवं महामहिम को किये जाने की जॉंच एवं कार्यवाही ।	शिकायत पर मानव अधिकार आयोग के पुलिस महानिरीक्षक द्वारा जॉंच की जा रही है ।	राज्य मानव अधिकार आयोग भोपाल मध्यप्रदेश के पत्र क्रमांक 40648 / माअआ /उज्जैन / 947/ 2009 /10, दिनांक 20.01.2010 द्वारा प्राप्त जॉंच प्रतिवेदन अनुसार शिकायती प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया है । **विभागीय पत्र क्रमांक 16-23/2009/तीन 701 दिनांक 15.04.2010**	**कोई टिप्पणी नहीं ।**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
9	835	मांगों पर चर्चा मांग संख्या-5 20.07.2009	1. होशंगाबाद में खुली जेल का निर्माण पूर्ण कर वर्ष 2009-10 में प्रारंभ की जाना। 2.60 वर्ष या उससे अधिक आयु के बंदियों को जेल से मुक्त किया जाना। 3. प्रदेश की जेलों में सुरक्षा उपकरण बंदियों के व्यवसायिक प्रशिक्षण तथा आटोमेटिक रोटी मेकिंग मशीन लगाई जाना।	1. होशंगाबाद में खुली जेल का निर्माण किया गया है यह खुली जेल इस वर्ष प्रारंभ की जायेगी। 2. 60 वर्ष या उससे अधिक आयु की लगभग 16 बंदियों की मुक्ति की कार्यवाही प्रचलन में है। 3. जेलों में विभिन्न प्रकार के सुरक्षा उपकरण बंदियों के व्यवसायिक प्रशिक्षण तथा केन्द्रीय जेलों में आटोमेटिक रोटी मेकिंग मशीन स्थापित करना प्रमुख है।	1. खुली जेल में लोक निर्माण विभाग द्वारा इस पहुंच मार्ग पेयजल,पाईप एवं विद्युत फिटिंग का कार्य किया जा रहा है। जिसे शीघ्र पूर्ण कराने का प्रयास जारी है। खुली जेल का कार्य पूर्ण होने पर उसे प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है। 2. राज्य शासन जेल विभाग के आदेश क्रमांक एफ 3-1/2010/तीन/100 दिनांक 16.01.2010 द्वारा आदेश जारी किये गए । (आजीवन कारावास को छोड़कर) आजीवन कारावास के आलोच्य श्रेणियों के बंदियों को छोडे जाने की कार्यवाही प्रचलन में है। 3. जेलों हेतु 05 नग रायफल 7.62 एम.एम.एस.एल.आर. तथा 24 नब पिस्टल -9 एम.एम.का क्रय किया गया है । वॉकी टॉकी,इलेक्ट्रिक सायरन के क्रय तथा आटोमेटिक रोटी मेकिंग प्लांट की 03 केन्द्रीय जेल पर स्थापना संबंधी कार्यवाही प्रचलन में है। **<u>विभागीय पत्र क्रमांक 950/2929/2009/तीन</u>** **<u>दिनांक 12.05.2010</u>**	**कोई टिप्पणी नहीं।**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
10	836	अता.प्र.सं.59 (क्र.3530) 27.07.2009	बदनावर जेल जिला धार में रिक्त पदों की पूर्ति।	पूर्ति की कार्यवाही प्रचलन में है।	उप जेल,बदनावर पर कंपाउण्डर के रिक्त पद की पूर्ति की कार्यवाही वर्तमान में व्यवसायिक परीक्षा मंडल के माध्यम से प्रचलन में है । सीधी भर्ती के अंतर्गत 05 प्रतिशत छूट एवं बैंकलॉग के लिये कम्पाउण्डर के कुल 18 पदों की पूर्ति हेतु व्यवसायिक परीक्षा मंडल के चाहे अनुसार रूपये 8,00,000/- में से उपलब्ध बजट रूपये 1,00,000/- की राशि दिनांक 11.06.2009 को एवं रूपये 1,00,000/- की राशि दिनांक 25.01.2010 को उपलब्ध कराई जा चुकी है , शेष राशि का वास्तविक व्यय का भुगतान व्यवसायिक परीक्षा मंडल द्वारा बताये जाने पर किया जावेगा। जेल मुख्यालय द्वारा पत्र दिनांक 19.11.2009, 17.12.2009, 08.02.2010 द्वारा शीघ्र विज्ञापन प्रकाशित कर परीक्षा के आयोजन करने हेतु नियंत्रक व्यवसायिक परीक्षा मंडल,भोपाल से अनुरोध किया गया है। प्रहरी के 477 पदों की पूर्ति की कार्यवाही व्यवसायिक परीक्षा मंडल के माध्यम से की गई थी । माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में दायर याचिका में कार्यवाही स्थगित किये जाने के किये जाने के आदेश दिये गये थे, जिसके कारण यह कार्यवाही स्थगित कर दी गई थी। माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 29.01.2010 को उक्त याचिका निरस्त कर दी है। अत: पुन: चयन की कार्यवाही प्रारंभ की जा रही है। **विभागीय पत्र क्रमांक एफ 16-29/2009/तीन 1257 दिनांक 26.06.2010**	**कोई टिप्पणी नहीं।**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
11	837	अता.प्र.सं.68 (क्र.3753) 27.07.2009	उप जेल पचोर जिला सिंगरौली में महिला कैदियों को महिला बैरकों में रखा जाना।	उप जेल में पुरूष कैदियों हेतु परसपेक्टिव प्लान के द्वितीय चरण में अतिरिक्त बैरिकों का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है। जिनके निर्माण पश्चात महिला कैदियों को उप जेल पचोर जिला सिंगरौली में रखे जाने पर विचार किया जायेगा।	उप जेल पचोर(बैढन) में महिला वार्ड निर्मित है किन्तु जेल में पुरूष कैदियों की संख्या अधिक होने एवं उनके लिए आवास की कमी होने के कारण महिला वार्ड में भी पुरूष बंदियों को रखा जा रहा है। पुरूष बंदियों हेतु अतिरिक्त बैरिकों के निर्माण का प्रस्ताव पर्सपेक्टिव प्लान के द्वितीय चरण की योजना में सम्मिलित कर भारत सरकार को प्रेषित किया गया है किन्तु भारत सरकार द्वारा पर्सपेक्टिव प्लान के द्वितीय चरण की योजना फिलहाल वित्तीय कारणों से स्थगित की गई है। योजना की स्वीकृति मिलने पर पुरूष बंदियों हेतु बैरिक्स का निर्माण कार्य कराया जा सकेगा। तत्पश्चात् महिला कैदियों को उपलब्ध महिला वार्ड में रखा जा सकेगा। **विभागीय पत्र क्रमांक एफ 16-30/2009/तीन 929 दिनांक 11.05.2010**	**कोई टिप्पणी नहीं।**

स्थान - भोपाल
दिनांक 17 दिसम्बर, 2024

हरिशंकर खटीक
सभापति
शासकीय आश्वासनों संबंधी समिति